राजस्थान विधान सभा

प्रथम बैठक, सोमवार, दिनांक २४ सितम्बर, १६५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ११-१० बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामरतन कोचर द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री अध्यक्ष—वे सदस्य जिन्होंने अभी तक संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण नहीं किया हो, अब ऐसा करेंगे।

(श्री रामरतन कोचर ने शपथ ग्रहण की)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १

ईसाई मिशनरीज द्वारा देहात के भील क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन की कार्यवाहियें

श्री जगतसिंह झाला—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में ईसाई मिशनरीज़ देहात के भील क्षेत्रों में तेजी के साथ धर्म परिवर्तन का कार्य कर रही हैं?

(ख) क्या सरकार मध्यभारत के माफिक राजस्थान में भी इनकी जांच के लिये कोई कमेटी बनाने का विचार रखती है?

श्री भोगीलाल पंड्या (मंत्री, पिछड़ी जाति कल्याण विभाग)—(क) धर्म परिवर्तन सम्बन्धी कार्य सरगरमी से हो रहा है, ऐसा विश्वास करने का कोई कारण सरकार के पास नहीं है। उदयपुर के जिलाधीश ने अवश्य ही खेरवाड़ा में भीलवाड़ा बालिकाओं के धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ सूचना भेजी है। सरकार इस विषय में आवश्यक जांच कर रही है।

(ख) राजस्थान शासन अभी इस प्रकार की कोई समिति बनाने की आवश्यकता नहीं समझता है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या सरकार को मालूम है कि श्री भीखाभाई भील, संसद सदस्य ने ऐसा स्टेटमेन्ट दिया था कि बांसवाड़ा की तरफ भीलों को धर्म परिवर्तन के लिये मजबूर किया जा रहा है?

श्री भोगीलाल पंड्या—उन्होंने पार्लियामेन्ट में जरूर ऐसा स्टेटमेन्ट दिया था।

श्री भैरूंसिंह—इसके बारे में सरकार जांच की आवश्यकता समझती है वह किसके द्वारा जांच करवाई जा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा।

श्री चन्दनमल वैद—क्या मन्त्री महोदय ने मध्यभारत सरकार की रिपोर्ट को मुलाहिजे किया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री चन्दनमल वैद—क्या उस रिपोर्ट को देखते हुए भी सरकार इस बात की आवश्यकता नहीं समझती कि इस सम्बन्ध में कमेटी बनाई जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कमेटी बनाने की इस समय आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री चन्दनमल वैद—तो किस समय आवश्यकता प्रतीत होगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जांच के बाद आवश्यकता होगी तो कमेटी बनाने के बारे में सोचा जा सकता है।

श्री भैरूंसिंह—सरकार के पास जो सूचना आई है उसके आधार पर कितने व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, बताने की कृपा करें ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अपने उत्तर में बताया है कि ऐसी कोई सूचना पूरी संख्यावार नहीं मिली है।

श्री चन्दनमल वैद—क्या सच्चाई का पता लगाने के लिये यह जरूरी नहीं है कि कमेटी बनाई जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस समय कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री **चन्दलमल वैद**—मन्त्री महोदय फरमाते हैं कि कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, उसकी उनके पास सूचना नहीं है; तो क्या सूचना प्राप्त करने के लिये वे जरूरी नहीं समझते कि एक कमेटी बनाई जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—प्रश्न पूछा था संख्या के बारे में। संख्या की पूरी सूचना नहीं है, वैसे तो सूचना जिलाधीशों की मार्फत मिलती ही रहती है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि उदयपुर के पास नाई गांव में एक भील ने धर्म परिवर्तन करने से इन्कार कर दिया था इसलिये उसको जान से मार डाला गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी सूचना नहीं है। आप सूचना दे रहे हैं तो जांच करवायेंगे।

श्री भैरूंसिंह—क्या कलेक्टर्स को आदेश देंगे कि जांच करके सूचना दें कि कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी सूचना कलेक्टर स्वयं ही दिया करते हैं।

श्री भैरूंसिंह—अब तक जो सूचना नहीं दी, उस पर आदेश दिया गया है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यदि सूचना नहीं दी गई होती तो जांच करने की आवश्यकता नहीं होती।

श्री भैरूंसिंह—इतने लोगों के धर्म परिवर्तन करने के बाद भी जांच की आवश्यकता नहीं समझते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है कि बहुत से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। यदि सूचना आयेगी तो आपको बतलाई जा सकती है।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सच नहीं है कि कलेक्टर साहबानों से एक वर्ष पूर्व भी इस प्रकार की सूचना राजस्थान सचिवालय में पहुंची थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहुंची होगी।

श्री भैरूंसिंह—आप यह बतलाइये कि पहले पहल आपको कब सूचना मिली कि कलेक्टर्स महसूस करते हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तारीख अलग से प्रश्न करने पर बताई जा सकती है। किस कलेक्टर के बारे में आप सूचना चाहते हैं ?

श्री भैरूंसिंह—तारीख नहीं है तो समय बता दिया जाय।

श्री चन्दनमल वैद—क्या कलेक्टर्स से सूचना प्राप्त हो रही है कि बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं।

प्रश्न संख्या २

१७ जून, १९५४ तक सरकार द्वारा पुनर्ग्रहीत की गई जागीरें

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) १७ जून, सन् १९५४ से अब तक कितनी जागीरें, डिवीज़न वाइज़, सरकार द्वारा पुनर्ग्रहीत की जा चुकी हैं ?

[राव राजा श्री सरदारसिंह]

(ख) अधिग्रहण की गई जागीरों के कितने जागीरदारों द्वारा अनुदान-पत्र पेश किये जा चुके हैं?

(ग) कितनी जागीरों के अनुदान-पत्र की जांच की जा चुकी है और कितनों का अन्तिम निर्णय होकर अनुदान धनराशि दी जा चुकी है?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) १७ जून, १९५४ से अब तक डिवीज़न वाइज़ निम्नांकित ६४८३ जागीरें पुनर्ग्रहीत की जा चुकी हैं:—

जयपुर डिवीज़न	..	१४०१ टोंक व किशनगढ़ में ५०० रु० तक की आमद की, दीगर जगह १००० से ऊपर की आमदनी की।
कोटा डिवीज़न	..	८५९ २०० रु० तक की आमदनी की।
जोधपुर डिवीज़न	..	८३२ १००० रु० तक की आमदनी की।
बीकानेर डिवीज़न	..	२४७ १००० रु० तक की आमदनी की।
उदयपुर डिवीज़न	..	३१४४ २०० रु० तक की आमदनी की।

कुल ६४८३

(ख) अधिग्रहण की गई जागीरों में से ४०१५ जागीरदारों की ओर से यहां पर मुआवजा अनुदान दावे पेश हो चुके हैं। संभव है ता० १५-६-५६ के बाद ५००० तक की आय के समूह के दावे डिस्ट्रिक्ट में व १०,००० तक की आय समूह के दावे डिवीज़न में स्थानान्तरित हो जाने के पश्चात् वहां भी नए दावे पेश हुए हैं। जिनकी संख्या के विषय में पूछताछ की गई है।

(ग) अन्तिम रूप में अभी तक किसी जागीर का मुआवजा तय नहीं हुआ है। जांच की आवश्यक कार्यवाही जारी है। अन्तर्कालीन मुआवजे की पहली किश्त जिन जिन की वाजिब हो गई है करीब करीब सबको चुका दी गई है और दूसरी किश्त भी ८० प्रतिशत चुका दी गई है।

राव राजा श्री सरदारसिंह—५४-५५ में जिनकी जागीरें जब्त हुई थीं और जिनके मुआवजे के दावे सन् ५५ में पेश हो चुके हैं और तहसीलदारों ने जिनके बारे में रिपोर्ट दे दी है उनको भी अब तक नहीं देने का क्या कारण है?

श्री दामोदरलाल व्यास—अपने जवाब में मैंने कहा है कि आवश्यक जांच की जा रही है।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है बौंड तैयार नहीं हुए हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—बौंड अभी तक तैयार नहीं हुए हैं।

श्री भैरूंसिंह--क्या यह सही है कि बौंड तैयार नहीं होने से इंटेरिम मुआवजे नहीं दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास--जी नहीं।

श्री मानसिंह महार--ये बौंड कब तैयार हो जायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास--जल्दी ही तैयार होंगे।

श्री मानसिंह महार--पिछले अधिवेशन में भी कहा गया था कि जल्दी ही तैयार होंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास--पिछले अधिवेशन में मैंने यह कहा था कि कुछ फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज़ आई थीं, इसलिये देरी हो गई।

श्री भेरूंसिंह--क्या अब तैयार हो चुके हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास--करीब करीब तैयार होने वाले हैं ।

श्री मानसिंह महार--क्या अगले चुनावों से पहले सब हो जायेंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास--ऐसी उम्मीद है।

श्री हिम्मतसिंह--क्या बौंड तैयार नहीं होने के कारण जांच में देरी हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--जी नहीं इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह--जांच कौन कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास--जागीर नियमों के अन्तर्गत तहसीलदार, जागीर अधिकारी, कलेक्टर आदि जांच करते हैं।

श्री हिम्मतसिंह--क्या तहसीलदारों ने जांच करली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--आप किसी के बारे में प्रश्न पूछेंगे तो बता देंगे।

श्री हिम्मतसिंह--शायद आपके पास पूरी सूचना नहीं होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास--आप जिस किसी के बारे में पूछेंगे उसके बारे में बतायेंगे।

प्रश्न संख्या ३

विभिन्न जिलों में नियुक्त लाइजन आफिसर्स एवं उनकी नियुक्ति के आधार

श्री जगतसिंह झाला--क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) राजस्थान के कौन कौन से जिलों में सम्पर्क अधिकारी (लाइज़न ऑफिसर) मुकर्रर किये जा चुके हैं ?

[श्री जगतसिंह झाला]

(ख) इन अधिकारियों की क्या योग्यता सरकार ने निश्चय की है ?

(ग) इनके क्या २ कार्य हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) सम्पर्क अधिकारी (लाइज़न ऑफिसर) का कोई पद ही नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरूं सिंह—जागीर डिपार्टमेन्ट से मतलब है, वहां कितने मुकर्रर हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सवाल साफ है। "राजस्थान में कौन कौन से जिलों में संपर्क अधिकारी मुकर्रर किये जा चुके हैं"। पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट में यह पद जरूर है लेकिन किसी को नियुक्त नहीं किया गया है। जागीर डिपार्टमेन्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो next time I will give the answer.

श्री भैरूं सिंह—सम्पर्क अधिकारी के नाम से प्रश्न है और पद जागीर विभाग में ही हुआ है।

श्री चन्दनमल वैद—पब्लिसिटी में तो जन-संपर्क अधिकारी का पद है।

श्री अध्यक्ष—But the question was vague.

प्रश्न संख्या ४

डिवीजन, सब-डिवीजन, तहसीलों के निर्माण सम्बन्धी समिति की स्थापना

राव राजा श्री सरदार सिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में कितने डिवीजन, जिले, सब-डिवीजन व तहसीलें हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब-डिवीजन व तहसीलों के निर्माण के हेतु कोई कमेटी नियुक्त की है ?

(ग) यदि हां, तो उस कमेटी के कितने सदस्य हैं ?

(घ) क्या उपरोक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करदी है ? यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही की जाने का विचार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(a) Rajasthan has at present five divisions, 25 districts, seventy-five sub-divisions, 210 tehsils.

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(*b*) Yes.

(*c*) A Committee was constituted under the chairmanship of the Chief Secretary. Other members are Chairman, Board of Revenue, Dy. Secretary (Finance), Revenue Secretary, Dy. Secretary (Planning) has been appointed Secretary of the Committee.

(*d*) Main proposals have already been finalized. But before any report was presented to the Government it was thought that the question of the other areas to be merged in Rajasthan had been decided.

श्री भैरूंसिंह—यह हिन्दी में आना चाहिये।

श्री सरदारसिंह (रावराजा उणियारा)—यह कमेटी कौन से साल में मुकर्रर हुई साहब ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि ५५ में मुकर्रर हुई।

श्री सरदारसिंह—क्या उणियारा से तहसील हैडक्वार्टर को हटा कर अलीगढ़ किया गया है, इस सम्बन्ध में भी कमेटी ने विचार किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कमेटी को पूरा अख्त्यार है कि वह तहसीलों के हैडक्वार्टर बदलने व तहसीलों की सीमा के बारे में विचार करे।

श्री सरदारसिंह—क्या वह तहसील हैडक्वार्टर वापिस उणियारा भेजे जाने के बारे में कमेटी ने रिपोर्ट की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेन्ट में आई नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि कमेटी ने एम. एल. एज़. और एम. पीज़. से इस बारे में कोई राय नहीं ली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कमेटी की रिपोर्ट अभी गवर्नमेन्ट के पास आई नहीं है। कमेटी ने जिनकी राय लेना जरूरी समझा उनकी राय ली है।

श्री भैरूंसिंह—आपने बताया कि रिपोर्ट तैयार है, गवर्नमेन्ट के समक्ष पेश होने वाली है। कमेटी द्वारा इस रिपोर्ट की तैयारी में एम. एल. एज़. और एम. पीज़. की राय नहीं ली गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कमेटी के लिये यह जरूरी नहीं था कि उनकी राय ले।

श्री भैरूंसिंह—तो फिर किनकी राय ले कर रिपोर्ट तैयार की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तो कमेटी की रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि उसने किस २ की राय लेना जरूरी समझा है और किस बेसिस पर रिकमन्डेशन्स करती है।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि कमेटी ने सरकार के सामने इन्टरिम रिपोर्ट पेश की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—कितना समय इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिये दिया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—एस. आर. सी. रिपोर्ट के बारे में फाईनली तय नहीं हो जाय तब तक के लिये कमेटी को कहा गया था कि वह अपनी रिपोर्ट सबमिट न करे। क्योंकि इसे कुछ चेन्जेज़ करनी पड़ेंगी।

श्री चांदमल मेहता—किस तारीख तक ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तारीख तो याद नहीं ।

श्री भैरूंसिंह—अब समय किस तारीख तक बढ़ाया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि रिओर्गेनाइजेशन के मसले से राजस्थान में कुछ टेरीटरीज़ शरीक हो जायंगी, तभी रिपोर्ट दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५

अतिवृष्टि से फसलों की क्षति एवं अनाज के बढ़े हुये भावों को रोकने हेतु सरकारी दुकानें खोलना

श्री जगतसिंह झाला—क्या खाद्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण फसल के नष्ट होने से कई जिलों में नाज के भाव बेहद बढ़ते जारहे हैं ?

(ख) क्या सरकार अन्य प्रान्तों के माफिक राजस्थान में भी भावों को बढ़ने से रोकने के लिये सरकारी सस्ते भाव से नाज वितरण के लिये दुकानें खोलने का विचार करती है ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मंत्री)—(क) शुरू में अतिवृष्टि के कारण व बाद में अनावृष्टि के कारण कुछ जिलों से भाव बढ़ने की सूचना प्राप्त हुई हैं ।

(ख) सस्ते भाव से अनाज वितरण करने के लिये कई जिलों में सरकारी नोमिनीज़ नियुक्त किये गये हैं और आवश्यकतानुसार और जिलों में भी नियुक्त किये जायेंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगतसिंह झाला—कौन कौन से जिलों में भाव बढ़ने की सूचना मिली है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—कोटा, झालावाड़, उदयपुर, जयपुर, सिरोही, चित्तौडगढ़ और सीकर इन सब जिलों में नोमिनीज़ मुकर्रर हो चुके हैं।

श्री जगतसिंह झाला—क्या सस्ते भाव की दुकानों का इन सब जगहों पर प्रबन्ध कर दिया गया है ?

श्री पण्ड्या—झालावाड़ जिले में अनाज पहुंच गया है बाकी जिनके प्रार्थना-पत्र आये हैं उनका अनाज रास्ते में है, पहुंचने वाला है।

श्री जगत सिंह—चित्तौडगढ़ जिले में यह व्यवस्था कब तक होगी ?

श्री पण्ड्या—जब अनाज पहुंचेगा तब।

श्री झाला—कितने महीनों में किस अवधि तक अनाज वहां पहुंच जायगा ?

श्री पण्ड्या—मेरे खयाल से इस महीने के अन्त तक पहुंच जाना चाहिये।

श्री मानसिंह महार—इन जिलों में कौन कौन सी अनाज की व्यवस्था की गई है ?

श्री पण्ड्या—गेहूं की।

श्री मानसिंह महार—क्या जौ की भी व्यवस्था की गई है, क्यों कि गरीब लोग गेहूं नहीं खाते ?

श्री पण्ड्या—नहीं।

श्री मानसिंह महार—क्या जौ की व्यवस्था करने के बारे में सरकार पुर्नविचार करेगी ?

श्री पण्ड्या—इसकी व्यवस्था करना संभव नहीं।

श्री झाला—किस भाव से अनाज देने की व्यवस्था की गई है ?

श्री पण्ड्या—साढ़े चौदह रुपया प्रति मन के भाव से।

श्री भैंरू सिंह—गरीब लोग गेहूं नहीं खाते मंहगे होने के कारण, वे गेहूं नहीं खा सकते और सस्ता अनाज पसंद करते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए गेहूं के अलावा और सस्ते धानों की व्यवस्था करने के बारे में क्या सरकार पुर्नविचार नहीं करना चाहती ?

श्री पण्ड्या—सरकार गेहूं और चावल के अलावा और अनाज की व्यवस्था नहीं कर सकती।

श्री भैंरू सिंह—गेहूं के कारण गरीबों की समस्या का तो हल नहीं हो सकता, फिर सरकार यह व्यवस्था किसके लिये कर रही है ?

श्री पण्ड्या—सरकार सस्ते भाव से अनाज मिलने की व्यवस्था कर रही है, अनाज जो मिलेगा वह साढ़े चौदह रुपये मन के भाव से दिया जायगा।

श्री मानसिंह महार—तीन सेर से भी कम के भाव के गेहूं गरीब नहीं खा सकते, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार सस्ते अनाज का प्रबन्ध करेगी क्या ?

श्री पण्ड्या—सरकार ने यह व्यवस्था की है कि सस्ते यानि साढ़े चौदह रुपया मन के भाव से अनाज पहुंचाया जावे।

श्री भैंरूं सिंह—क्या सरकार घाटा खाकर भी गरीब लोगों को अनाज देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री पण्ड्या—जहां विशेष परिस्थिति हो, तो ऐसी व्यवस्था की जा सकती है।

श्री भैंरूं सिंह—क्या इस समय की परिस्थिति को सरकार ऐसा नहीं समझती कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाय ?

श्री पण्ड्या—नहीं, ऐसी व्यवस्था इस समय नहीं की जा सकती।

श्री मानसिंह महार—क्या दस-बीस हजार आदमी मर जायेंगे तब इस प्रकार की व्यवस्था की जायगी ?

श्री पंड्या—मरने का प्रश्न ही नहीं। अनाज प्रचुर मात्रा में मिलता है। कुछ मंहगा मिलता है इसलिये सस्ते भाव से देने की व्यवस्था की गई है। और जयपुर और जोधपुर में यह बफर स्टोक ज्यादा रहेगा।

श्री भैंरूं सिंह—यह अनाज कहां से आ रहा है ?

श्री पंड्या—बम्बई से।

श्री भैंरूं सिंह—बम्बई में कहां से आ रहा है ?

श्री पंड्या—अन्य देशों से।

श्री भैंरूंसिंह—क्या सरकार द्वारा इस प्रकार के अनाज के देने की व्यवस्था राजस्थान के सभी भागों में की जावेगी ?

श्री पंड्या—जहां इस प्रकार की व्यवस्था मांगी गई है वहां की जावेगी।

श्री भैंरूं सिंह—फी व्यक्ति कितना अनाज दिया जा सकेगा ?

श्री पंड्या—जितना खा सकता है।

श्री जगतसिंह झाला—किन २ जिलों से अनाज के भाव मंहगे होने की सूचना आई है ?

श्री पंड्या—सूचनाएं हर जिले से नियमित रूप से आती रहती हैं।

एक माननीय सदस्य—क्या सब जगह इस प्रकार की व्यवस्था की गई है ?

श्री पंड्या—जहां पर मंहगा था वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है।

श्री भैरूं सिंह—जिन जिलों के बारे में सूचना नहीं आई है वहां अनाज मंहगा नहीं हुआ है क्या ?

श्री पंड्या—रिपोर्ट सब की आई है पर जहां व्यवस्था करने की आवश्यकता थी वहीं पर व्यवस्था की जा रही है।

श्री जगतसिंह—कौन कौन से जिले हैं जहां सरकारी सस्ते अनाज की दुकानें खोल दी हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—दस जिलों को बताया न कि वहां अनाज मंगाने की व्यवस्था की गई है। झालावाड़ में सबसे पहले मंहगा हुआ था इसलिये वहां पहले व्यवस्था की गई है।

श्री मानसिंह मह्वार—डूंगरपुर बांसवाड़ा में ऐसी व्यवस्था कब की जाने वाली है ?

श्री पंड्या—परमात्मा की कृपा से वहां ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, वहां साढ़े चौदह से ज्यादा भाव नहीं है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—जयपुर जिले में कब यह सस्ते धान की दुकानें खोलने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री पंड्या—इस महीने के अन्त तक।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६

तहसील उणियारा के हरिजनों की स्थिति सुधार हेतु शासकीय कार्यवाही

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील उणियारा, जिला टोंक, टाउन उणियारा में क्या कोई हरिजन बस्ती है ?

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थिति बाजार के स्तर से कितनी नीची है ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त हरिजन बस्ती में माह जुलाई में अतिवृष्टि से ६-७ फुट पानी भरे रहने से मकानों में पानी भर गया ?

(घ) क्या यह भी सही है कि पानी भर जाने के कारण गरीब हरिजनों के मकान भूमिसात् हो गये ?

[राव राजा श्री सरदारसिंह]

(ङ) यदि हां, तो भूमिसात् हुए मकानों की संख्या कितनी है और कितनी संपत्ति का ह्रास हुआ ?

(च) क्या यह सही है कि हरिजनों ने स्थिति सुधार के लिये उच्च अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिये ?

(छ) उनकी स्थिति के सुधार के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (समाज कल्याण मन्त्री)--(क) जी हां ।

(ख) तीन चार फुट नीची है ।

(ग) माह जुलाई में उक्त हरिजन बस्ती में अतिवृष्टि के कारण तीन चार फुट पानी भर गया था ।

(घ) हां ।

(ङ) गिरे हुए मकानों की संख्या १५० है और प्रति मकान में १०० से १५० रुपये तक नुकसान हुआ है ।

(च) इस सम्बन्ध में इस विभाग में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

(छ) म्युनिसिपैलिटी ने नालियां खुदवा कर पानी निकलवा दिया है । इसके अतिरिक्त इस बात की भी जांच की जा रही है कि उन हरिजनों को किस तरह से सुविधा दी जाय ।

श्री भैरूंसिंह--इस प्रकार की सूचना सरकार को कब मिली कि हरिजन बस्ती बाजार के लेवल से तीन चार फुट नीची पड़ती है ?

श्री पंड्या--इस विभाग को प्रश्न पूछा गया तभी सूचना मिली ।

श्री भैरूंसिंह--किसके द्वारा मिली ?

श्री पंड्या--इस विभाग को तो प्रश्न पूछा गया है तभी सूचना मिली है ।

श्री भैरूंसिंह--सूचना मिलने पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री पंड्या--मैंनें अपने उत्तर में बता दिया है कि क्या व्यवस्था की गई है ।

श्री भैरूंसिंह--आपने बताया कि कोई दरख्वास्त आपके पास नहीं आई । मेरे पूछने का मतलब यह है कि आपने मदद कैसे दी ?

श्री भोगीलाल पंड्या--सरकार के पास केवल १० हजार रुपया था, वह रुपया दे दिया ।

श्री भैरूंसिंह—उनियारा में दिया गया या दूसरी जगह दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हमारे पास १० हजार रुपया था वह सारा का सारा साल भर के लिये था, सब दे दिया गया ?

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि वह सारे राजस्थान के लिये था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां ।

श्री भैरूंसिंह—क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि ज्यादा की जरूरत है, इसलिये ज्यादा रुपया दिया जाय ।

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो हर साल खर्च होता है। इस साल विशेष परिस्थिति पैदा हो गई थी । हर साल रुपया खर्च होता है ।

श्री भैरूंसिंह—विशेष परिस्थितियां इस साल पैदा हो गई थीं । उसके लिये क्या सरकार कोई विशेष प्रबन्ध करेगी या नहीं ?

श्री सरदारसिंह—आपने कहा कि किसी भी हरिजन की शिकायत नहीं आई। इंससे माननीय मंत्री महोदय का क्या मतलब है । आया यह सूचना आपके पास नहीं आई या जिलाधीश के पास नहीं आई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने इस विभाग के लिये कहा था । आप कुछ भी समझें ।

श्री सरदारसिंह—जो लोग टोंक में रहते हैं उनके घरों में पानी भर गया उस समय कोई मौका देखने के लिये उधर गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिनको इत्तिला दी गई होगी अवश्य पहुंचे होंगे ।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से मौके पर जाकर इसकी जांच भी की गई थी, दूसरी जगह भी नुकसान हुआ इसकी इत्तिला है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अन्य जगह भी नुकसान हुआ होगा, हमारे पास सूचना नहीं है ।

श्री मानसिंह महार—वहां जरूरत नजर नहीं आई इसलिये सहायता नहीं दी गई ?

प्रश्न संख्या ७

अतिवृष्टि के कारण चित्तौड़ जिले की फसल को क्षति एवं वहां के कृषकों को लगान की छूट

श्री जगतसिंह झाला—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान के कौन कौन से जिलों में अतिवृष्टि के कारण फसल को नुकसान हुआ ?

[श्री जगतसिंह झाला]

(ख) क्या यह सच है कि चित्तौड़गढ़ जिले में यह नुकसान सब से ज्यादा हुआ ?

(ग) क्या सरकार नुकसान के अनुपात से चित्तौड़ जिले में काश्तकारों के लगान में छूट करने का आदेश देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) अतिवृष्टि के कारण राजस्थान के निम्न-लिखित १७ जिलों में खरीफ की फसल में हानि होने की सूचना प्राप्त हुई है :—

(१) बूंदी (२) झालावाड़ (३) कोटा (४) उदयपुर (५) भीलवाड़ा (६) सवाई माधोपुर (७) चित्तौड़गढ़ (८) बांसवाड़ा (९) जयपुर (१०) टोंक (११) सीकर (१२) भरतपुर (१३) अलवर (१४) नागौर (१५) जैसलमेर (१६) सिरोही (१७) जालौर ।

(ख) गश्त गिरदावरी समाप्त नहीं होने के कारण नुकसान के आंकडे प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि किस जिले में दूसरे जिलों की अपेक्षा अधिक नुकसान हुआ है ।

(ग) इस संबंध में सरकार ने नियम बना रखे हैं, उनके अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

श्री जगतसिंह झाला—चित्तौड़ के जिलों में ६० इंच से ज्यादा वर्षा हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वर्षा जरूर ज्यादा हुई है ।

श्री जगतसिंह झाला—जब वर्षा ज्यादा हुई है तो नुकसान हुआ ही है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने कहा कि नुकसान हुआ है, लेकिन गश्त गिरदावरी समाप्त नहीं होने से यह नहीं कहा जा सकता कि कहां पर कितना नुकसान हुआ है ?

राव राजा श्री सरदारसिंह—जहां पर ६० इंच से ज्यादा वर्षा हुई है, वहां पर आप अन्दाज लगा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८

सन् १९५४-५५ में काश्त की गई भूमि विशेषतया चित्तौड़ जिले में

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में सन् १९५४-५५ में कितनी भूमि काश्त की गई ?

(ख) उसमें से कितनी पैदावार जिन्सवार हुई थी और फी एकड़ क्या एवरेज रहा ?

(ग) टोंक जिले में कितनी एकड़ भूमि सन् १९५४-५५ में काश्त हुई ?

[राव राजा श्री सरदारसिंह]

(घ) उसमें प्रति एकड़ कितनी जिन्स पैदा हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) समस्त राजस्थान में कुल चार वर्ष के औसत से २,५३,६५,१४२ एकड़ भूमि काश्त होती है। सन् १९५४-५५ में २,७०,५५,८३२ एकड़ भूमि काश्त हुई।

(ख, ग, घ) इसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट देखिये)

राव राजा श्री सरदारसिंह—मुझे तो नहीं मिली साहब।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६

फॉर्मर राजस्थान द्वारा हाथ में लिये गये ठिकानों के कलेक्शन चार्जेज को ६० प्रतिशत से ३० प्रतिशत कम करने सम्बन्धी नियमों का सम्पादन

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसे रूल्स निकाले हैं कि फोर्मर राजस्थान ने जिन जिन ठिकानों के कलेक्शन अपने हाथ में लिये थे उनका कलेक्शन चार्ज बजाय ६० प्रतिशत के ३० प्रतिशत लिया जावे ?

(ख) यदि हां, तो अब तक किन किन ठिकानाजात फोर्मर राजस्थान को शेष चार्ज रिफन्ड किया गया है ?

(ग) बांसवाड़ा जिला, डिविज़न उदयपुर, के ठिकानाजात को आखिर जून, १९५६ तक का कितना रिफन्ड मिल चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(क) जी हां। सरकार ने कलेक्शन चार्जेज जिस आय समूह के जागीरदारों के अस्थाई रूप से सन् १९४९ में जितने वसूल करना जारी कराया था, उसके आधे कर दिए हैं और बाकी रकम लौटाई जा रही है।

(ख) किस किस ठिकाने को कितना रिफन्ड हुआ इसका रेकार्ड तहसीलात में होने और उसके स्टेटमेंट बहुत लम्बे चौड़े होने के कारण इस समय प्राप्त नहीं हुए हैं। प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को सूचना दे दी जावेगी।

(ग) जिला बांसवाड़ा के जागीरदारों को जून, सन् १९५६ तक १,०३,२३६ रु० ३ आ० ३ पाई का चुकारा हो चुका है।

राव राजा श्री सरदारसिंह—यह लिस्ट कब तक आ जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वह मंगाई गई है जल्दी आ जावेगी।

श्री भैरू सिंह—क्या सरकार की तरफ से कोई तारीख निश्चित की गई है कि सब ठिकानों को इस तारीख से पहले रकम रिफन्ड कर दी जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसमें एकाउन्ट्स चैक करने में देरी लगती है।

श्री भैरू सिंह—क्या सरकार के इस प्रकार के आदेश १९५५ के हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—१९५५ के भी हैं और उसके बाद के भी हैं। मगर बात असल में यह है जैसा कि मैंने अर्ज किया कि कुछ एकाउन्ट की डिफिकल्टी हो रही है।

श्री भैरू सिंह—क्या अब भी सरकार इसके लिये कोई तारीख निश्चित नहीं करना चाहती कि सारे जागीरदारों का चुकारा हो जाए ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने कहा कि बहुत से जागीरदारों को मिला है और जिनके एकाउन्ट की दिक्कत है उनको देरी हो रही है।

राव राजा श्री सरदारसिंह—यह डिफिकल्टी कब तक दूर हो जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—एकाउन्ट की डिफिकल्टी है।

श्री भैरू सिंह—क्या सरकार एक तारीख निश्चित करके जागीरदारों और अपने अधिकारियों को आज्ञा देगी कि वे अपने हिसाब तय करलें ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तारीख तो..............................

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—मैं इस संबंध में एक बात स्पष्ट कर दूं। बड़े बड़े जागीरदारों को ३ वर्ष में और छोटे जागीरदारों को जल्दी से जल्दी की बात है। बांसवाड़ा के गढ़ी जागीरदार हैं उसकी रकम बहुत बड़ी है। क्योंकि वह बड़ी रकम है इसलिये देर होती है।

श्री अध्यक्ष—Secretary.

सदन की मेज पर रखे गये राष्ट्रपति एवं राजप्रमुख से अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव (श्री मंशाराम पुरोहित)—महोदय, मैं विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति अथवा राजप्रमुख की अनुमति प्राप्त हो चुकी है सदन की मेज पर रखता हूं।

विधेयक जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है

1. The Rajasthan Land Revenue Bill, 1955.

[श्री मंसाराम पुरोहित]

2. The Rajasthan Public Demands Recovery (Amendment) Bill, 1956.

3. The Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (Third Amendment) Bill, 1956.

4. The Rajasthan Habitual Offenders (Amendment) Bill, 1956.

विधेयक जिन पर राजप्रमुख की अनुमति प्राप्त हो चुकी है

1. The Rajasthan Forest (Amendment) Bill, 1956.
2. The Rajasthan Bhoodan Yagna (Amendment) Bill, 1956.
3. The Rajasthan Escheats (Regulation) Bill, 1955.
4. The Rajasthan Appropriation (No.1) Bill, 1956.
5. The Rajasthan Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1956.

श्री अध्यक्ष—Ordinances to be laid on the table of the House. श्री अमृतलाल यादव ।

सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेश

(क) राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) अध्यादेश, १९५६

श्री अमृतलाल यादव (पृथक एवं सहकारी मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (अध्यादेश संख्या ३, सन् १९५६) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । श्री रामनिवास मिर्धा ।

(ख) राजस्थान सहकारी भूमि बंधक बैंक अध्यादेश, १९५६

श्री अमृतलाल यादव (कृषि मंत्री की अनुपस्थिति में)—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान सहकारी भूमि बंधक बैंक अध्यादेश, १९५६ (अध्यादेश संख्या ४, सन् १९५६) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री बृजसुन्दर शर्मा ।

(ग) राजस्थान सरकारी ऋण अध्यादेश, १९५६

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी ऋण अध्यादेश, १९५६ (अध्यादेश संख्या ५, सन् १९५६) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री बृजसुन्दर शर्मा ।

नियोजन लेखा १९५३-५४ तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५५ (भाग २) को प्रस्तुति

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मैं नियोजन लेखा १९५३-५४ तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन १९५५, भाग २, सदन की मेज पर रखता हूं ।

पुरःस्थापित किये गये विधेयक

(क) राजस्थान कानून लेख (विखंडन) विधेयक, १९५६

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं, डूंगरपुर कानून लेख, १९५६ का विखंडन करने के लिये विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

(ख) राजस्थान खदान बस्ती विधेयक, १९५६

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान राज्य में खदान बस्तियों पर नियन्त्रण तथा उसमें सफाई की व्यवस्था करने के लिये विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

(ग) राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९५६

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वधकरण) अधिनियम, १९५६ का संशोधन करने के लिये विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान व्योहरा विधेयक, १९५६

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय की वृद्धि।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान व्योहरा विधेयक, १९५६ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को १५ अक्तूबर, १९५६ तक और बढ़ाया जावे।

श्री भैरूं सिंह (१६)—अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति के प्रतिवेदन की उपस्थिति के लिये जो १५ अक्टूबर का समय मांगा गया है वह क्यों मांगा गया है, इस पर माननीय मन्त्री प्रकाश डाल दें तो ठीक रहेगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, जिस प्रवर समिति को यह बिल सुपुर्द किया गया था और जो समय उस पर रिपोर्ट देने के लिये उपस्थित किया गया था उस अवधि में वह बिल पास नहीं कर सके इसलिये समय को बढ़ाने के लिये मांग की गई है ।

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, जो कुछ माननीय राजस्व मन्त्री ने अभी कहा उससे तो यह पता नहीं चलता कि सदन अवधि बढ़ाने की बात की अनमति क्यों दे ?

Page No.19

श्री अध्यक्ष—(राजस्व मन्त्री से) आप यह बतादें कि कितनी मिटिंगें हुई?

I think perhaps the hon'ble members did not turn up at the various meetings. If the hon'ble members object to the extension of time for the presentation of the Select Committee Report then the Government may ask for moving the Bill and getting it passed now.

श्री दामोदरलाल व्यास—We had three meetings of the Select Committee. The Bill has been finalized, but the final report has not been drafted and approved.

श्री भैरूंसिंह—अध्यक्ष महोदय, १५ अक्टूबर की अवधि केवल इसलिये मांगी जा रही है कि फाइनल रिपोर्ट उसकी तैयार करनी है। जहां तक फाइनल रिपोर्ट तैयार करने का सवाल है वह तो एक-दो दिन में हो सकती है और सदन के सामने प्रस्तुत की जा सकती है। उसके लिये १५ अक्तूबर तक का समय बहुत ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष—Any way the anxiety is that it should be presented.

श्री भैरूंसिंह—इसी सेशन में आ जानी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, इस बिल की प्रवर समिति की तीन मिटिंग्ज बुलाई गई थीं जिनमें तीनों में भी कोरम पूरा नहीं हुआ। उसके बाद तीन मिटिंग्ज बुलाकर इस बिल पर विचार किया गया और ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की अब सिर्फ उस ड्राफ्ट रिपोर्ट को एप्रूव कराना है, सिर्फ इतना ही काम बाकी है।

श्री भैरूंसिंह—अध्यक्ष महोदय, केवल ड्राफ्ट रिपोर्ट को ही एप्रूव कराना है वैसी हालत में ड्राफ्ट रिपोर्ट तो कभी भी एप्रूव हो सकती है। हाउस की मिटिंग खत्म होने के बाद भी समय निकाल कर यह काम किया जा सकता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं माननीय राजस्व मन्त्री यह नहीं चाहते कि वह बिल इसी सेशन में पास किया जाय, बल्कि वे यह चाहते हैं कि नई असेम्बली आये और उसी में यह बिल पास कराया जाय।

श्री अध्यक्ष—So far as I could gather, the Treasury Benches are equally anxious to get it passed.

श्री चन्दनमल वैद—वे चाहते हैं कि कुए में डाल दिया जाय।

श्री भैरूंसिंह—अगर ट्रेजरी बैन्चेज चाहती तो कोरम तो पूरा हो सकता था।

श्री दामोदरलाल व्यास—अपोजिशन के मेम्बर्स ही टर्न अप नहीं हुए।

(विचार-विनिमय के पश्चात्)

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति के प्रतिवेदन की उपस्थिति के लिये ३० सितम्बर तक का समय दे दिया जाय। इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि राजस्थान व्योहरा विधेयक, १९५६ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियत समय को ३० सितम्बर तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन ।

(क) राजस्थान शीरा (नियन्त्रण) विधेयक, १९५६

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चीनी की फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित शीरे के उचित मूल्य पर न्यायोचित वितरण तथा उपलब्धि की प्राप्ति द्वारा उसके प्रदाय का नियम तथा नियन्त्रण करने हेतु विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

(ख) राजस्थान कृषि (ऋणिता) निवारण विधेयक, १९५६

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण विधेयक, १९५६ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

(ग) राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६

श्री लालसिंह शक्तावत—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६ पर प्रवर समिति का प्रतवेदन उपस्थापित करता हूं ।

(घ) राजस्थान गौशाला विधेयक, १९५४

श्री बद्रीलाल—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गौशाला विधेयक, १९५४ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

भारत के संविधान (षष्ठ संशोधन) विधेयक, १९५६ सम्बन्धी शासकीय संकल्प

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:—

श्री भैरूं सिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर, माननीय अध्यक्ष, पूर्व इसके कि यह संकल्प सदन में विचारार्थ लिया जाय मुझे थोड़ा सा निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष—State the point of order. There cannot be any point of order in vacuum. The Resolution has not been moved.

श्री भैरूं सिंह—मैं यह अर्ज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—First the Resolution be moved, and if the hon'ble member has any constitutional difficulty against the Resolution, it may come.

Page No.21

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"That this House ratifies the amendments of the Seventh Schedule, article 269 and article 286 of the Constitution of India, proposed to be made by the Constitution (Sixth Amendment) Bill, 1956, as passed by the two Houses of Parliament."

श्री भैरूं सिंह—मैं यह अर्ज कर रहा था माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष—(श्री गृह मन्त्री से) आप इस पर कुछ प्रकाश डाल दें।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, यह संकल्प जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है वह उस बिल के अनुमोदन के लिये रखा गया है जो पार्लियामेन्ट द्वारा पास हो चुका है। इसका सम्बन्ध सेल्स टेक्स के कुछ प्रोवीजो मे है। पहले सेल्स टेक्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार से था उसके इन्टरप्रिटेशन के बारे में कुछ फर्क था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कुछ रूलिंग हुआ, उसी के आधार पर इसमें संशोधन किया गया है। इन्टर स्टेट्स में भी सैल टेक्स सेन्ट्रल सब्जेक्ट रखा गया है। टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने इस पर काफी विचार किया। उनकी रिकमन्डेशन भी यह थी कि इन्टर स्टेट्स सेल टेक्स सेन्ट्रल सब्जेक्ट होना चाहिये। उसी के लिये बिल बनाया गया और पार्लियामेन्ट ने उसे पास किया। विधान के अनुसार जो वर्तमान में स्टेट्स हैं उनमें से आधे का अनुमोदन इस को प्राप्त होना चाहिये इसलिये यह संकल्प रखा गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे पास करेंगे।

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रस्ताव पर निवेदन करने से पूर्व कुछ अर्ज करना है जो यह है कि इस बिल की कापियां हमें सर्कुलेट नहीं हुई। हमें केवल कॉन्स्टीट्यूशन अमेन्डमेन्ट बिल नं० ७ ही सर्कुलेट किया गया और आज हमारे सामने यह संकल्प आता है कि

That this House ratifies the amendments..........proposed to be made by the..................as passed by the two Houses of Parliament.

इस पर विचार करेंगे। आज ऐसी स्थिति है कि कोन्स्टीट्यूशन अमेन्डमेन्ट नं० सिक्स्थ हमारे पास नहीं आया इस लिये इस पर आज विचार नहीं किया जा सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे थोडे समय के लिये पोस्टपोन किया जाय। इसके पश्चात् जो हम सातवां अमेन्डमेन्ट बिल ले रहे हैं वह तो सर्कुलेट हो चुका अतः उसको पहले विचारार्थ ले लिया जाय। ताकि हम उस बिल को कुछ समय के लिये देख सकें और उस पर अपने विचार रख सकें।

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, जो कॉन्स्टीट्यूशन अमेन्डमेन्ट बिल भेजा गया है उसमें अमेन्डमेन्ट नं० सिक्स्थ और सेवन्थ दोनों ही हैं।

श्री अध्यक्ष—(श्री भैरूं सिंह से) आपको टेन्थ अमेन्डमेन्ट बिल कब मिला?

श्री भैरूं सिंह (६)—कल मिला अध्यक्ष महोदय। इसमें मुगालता इस बात का रहा कि इसके ऊपर टेन्थ अमेन्डमेन्ट लिखा हुआ था इसलिये हम इस आशा में थे कि सिक्स्थ अमेन्डमेन्ट की कापी और सर्कुलेट होगी। क्योंकि इसके कवर पेज पर टेन्थ अमेन्डमेन्ट बिल, १९५६ लिखा हुआ था, हमने सोचा दसवें पर विचार होगा; तो हम सिक्स्थ अमेन्डमेन्ट बिल पर किस प्रकार तैयार होकर आ सकते थे।

श्री अध्यक्ष—That is not my fault.

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, यह एक फोर्मेलिटी है, जिसे हमें अन्जाम देना है इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—There is a note appended to the List of Business circulated to the hon'ble members.

जो लिस्ट ओफ बिजिनेस आपको दी गई उसमें साफ लिखा हुआ है कि संसद में उपरोक्त विधेयक पर की गई कार्यवाही की एक प्रति इसके साथ संलग्न है जिसमें पारित विधेयक भी पृष्ठ संख्या २०३ व २०४ पर मुद्रित है। तो आपको यह जानना चाहिये कि सिक्स्थ अमेन्डमेन्ट बिल अलग से सर्कुलेट नहीं होगा।

श्री भैरूं सिंह—अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार सेवन्थ अमेन्डमेन्ट बिल सर्कुलेट हुआ सेपरेटली उसी प्रकार हम सिक्स्थ अमेन्डमेन्ट बिल के अलग से सर्कुलेट होने की आशा लगाये बैठे थे। ऐसा मालूम होता तो हम देखकर आते।

श्री रामकिशोर व्यास—जो प्रोसीडिंग सर्कुलेट हुई उसमें बिल भी मौजूद है।

श्री अध्यक्ष—आप थोडा सा लिस्ट आफ बिजनेस को देखने का कष्ट करते तो आपको मालूम होजाता कि इसमें सिक्स्थ अमेन्डमेन्ट बिल भी है।

श्री भैरूं सिंह—सातवां पहले लिया जाना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास—अगर लिस्ट आफ बिजनेस कोई भी पढने की तकलीफ करें तो सारी बात साफ है।

श्री अध्यक्ष—If he wants time and if you want to give time, I have no objection.

श्री भैरूं सिंह—दिक्कत क्या है? सातवां पहले ले लिया जावे, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोडी देर बाद छटा ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—(श्री रामकिशोर व्यास से) क्यों साहब? अभी लीजियेगा?

श्री रामकिशोर व्यास—जैसा है लिस्ट आफ बिजनेस में वैसा ही लेना ठीक है, साहब।

श्री भैरूं सिंह—इस पर आप रूलिंग फरमा दीजिये, साहब।

श्री अध्यक्ष—There is no point for a ruling.

श्री भैरूं सिंह—लिस्ट आफ बिजिनेस में लिखा है।

"That this House ratifies the amendments of the Seventh Schedule, article 269 and article 286 of the Constitution of India, proposed to be made by the Constitution (Sixth Amendment) Bill",

[श्री भैरूंसिह]

और जो सर्कुलेट किया गया है वह दसवां है । अब हमसे कैसे उम्मीद की जाती है कि छटे को लिया जावे। अगर यही मंशा थी तो इस प्रकार की मंशा को हमें सर्कुलेट किया जाना चाहिये था। पहले सातवां डिसकस हो जाय, फिर छठा जिस समय सर्कुलेट हो जावे उस समय उस पर वाद-विवाद हो जावे। वे मेम्बरों की डिफिकल्टी को एप्रीशियेट करते हुए अकोमोडेटिव स्पिरिट दिखावें। सातवां हमें सर्कुलेट किया गया है, उसी पर हम तैयार होकर आये हैं, छठा अभी अभी किया गया है, उस पर विचार करने के लिये कुछ समय तो हमें दिया जावे। तो अगर मेम्बरों की यह डिफिकल्टी वे एप्रीशियेट करते हुए अपने आपको मेम्बरों से अकोमोडेट करने की स्पिरिट में नहीं पाते हैं तो वे आपके यहां से प्रेरणा लेकर वह अकोमोडेटिव स्पिरट हमें बतावें ।

श्री रामकिशोर व्यास—अकोमोडेट मैं हर समय करने को तैयार हूं, बशर्ते कि कोई माकूल बात कही जाय। लिस्ट ऑफ बिजनेस में यह बात है और उसके साथ जो पार्लियामेन्ट की प्रोसीडिंग्स की कापी अटच है उसमें लिखा है :—

"This Act may be called the 'Sixth Amendment Bill'.

You have been supplied with the Parliament Proceedings on the Ninth and Tenth Amendment Bills.

इसे आप पढ़ें नहीं, देखें नहीं और बाद में ऐतराज करें तो यह वाजिब बात नहीं हो सकती।

श्री भैरूंसिंह—इसके ऊपर जो लिखा होता है वह देखने की चीज होती है। सबसे पहले नजर उसी पर जाती है।

श्री रामकिशोर व्यास—इसमें है।

"Constitution (Sixth Amendment) Bill,1956, as passed by the Parliament."

श्री हिम्मतसिंह—अध्यक्ष महोदय, पढ़ते पढ़ते मालूम करने की बात कही जाती है तो कहां हजार सौ पेज को पढें ?

श्री मानसिंह महार—अगर सातवें की जगह छठे को कर दिया जावे तो इसमें भी कोई कान्स्टीट्यूशनल डिफिकल्टी आती है क्या ? या सातवें को पहले ले लिया जाये और छठे को बाद में तो इसमें भी कोई कान्स्टीट्यूशनल डिफिकल्टी आती है क्या ? ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर छठे के लिये हम लोग तैयार होकर नहीं आये और पहले सातवां ले लें और बाद में तैयार होने पर छठा ले लें तो इसमें क्या एतराज है। वसे मिनिस्टर महोदय भी कभी कभी जब वे तैयार होकर नहीं आते हैं तो सही बात होते हुए भी वे जवाब दे देते हैं कि जवाब नहीं आया है, इस वास्ते इसका उत्तर बाद में देंगे।

श्री रामकिशोर व्यास—वैसे मुझे आपत्ति की कोई बात नहीं है। आप कोई भी पहले लें पर इसके लिये जो दलीलें दी जा रही हैं वे सही नहीं हैं।

Page No.24

श्री अध्यक्ष—लंगडी हूं।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास—दलीलों वाली बात खत्म कर दें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री मानसिंह मह्यार—दलीलें आप ही से सीखी हैं उन्होंने और वे हमेशा ही ऐसी दलीलें देते हैं।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास—Then I hold that my argument is correct.

मैं वैसे तैयार हूं, पर जिस आर्गुमेन्ट पर, जिस ग्राउन्ड पर वे कहते हैं उस पर तैयार नहीं हूं।

श्री भैरूं सिंह—तो फिर आप कर लीजिये मन्जूर वैसे ही। माननीय गृहमन्त्री जो बात कहते हैं उससे फिर सातवें को पहले ले लेना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास—तो ले सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष—It is at the request of the hon'ble members and plainly not on account of circulation lacuna.

श्री भैरूं सिंह—इसके बारे में आप जो आदेश देंगे वह मान्य होगा।

श्री अध्यक्ष—I have fixed the order. I will stick to the order unless the Treasury Benches are prepared otherwise.

श्री भैरूं सिंह—हमारा तो यही कहना है कि हमारी सुविधा के लिये हमारी मांग स्वीकार करली जावे।

श्री रामकिशोर व्यास—पहले ही मैंने निवेदन कर दिया है कि मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ दलीलों पर है।

श्री अध्यक्ष—तो दलीलें आप अपनी विथड्रा कर लीजिये।

श्री भैरूं सिंह—दलीलें तो इस स्टेज को लाने के लिये की गई थीं। वह स्टेज आ गई है तो मैं अपनी दलीलें विथड्रा करता हूं।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—The hon'ble member is quite straight now.

श्री रामकिशोर व्यास—Then it may be taken just after the Seventh Amendment.

श्री अध्यक्ष—But today ?

भारत के संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक, १९५६ संबन्धी शासकीय संकल्प

श्री रामकिशोर व्यास—Of course, अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"That this House ratifies the amendment proposed to be made to the Constitution of India by the Constitution (Seventh Amendment) Bill, 1956, as passed by the two Houses of Parliament."

इस बिल में जो कान्स्टीट्यूशन में जरूरी परिवर्तन कराने के हैं वे इसमें शामिल किये गये हैं ताकि उनको एक रूप दिया जा सके और कोई विशेष बात इसमें नहीं है।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री ने संविधान में जो संशोधन हुआ है उसके बारे में इस सदन से जो स्वीकृति लेने के हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मैं इस सदन में कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष, इस विधेयक का सम्बन्ध मुख्य तौर से दो बातों से है। पहली बात है स्टेट रिओर्गेनाइजेशन के बारे में और दूसरी है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन्स को ओर्गेनाइज करने के बारे में।

इन दोनों बातों के बारे में कुछ ऐसी बातें आवश्यक रूप से इस सदन में कहने लायक हैं कि वे कही जानी चाहियें और मैं चाहूंगा कि राजस्थान की जनता की भावना को व्यक्त करने वाला यह सदन उन सारे मुद्दों पर गम्भीरता से विचार करके राजस्थान की जनता की आवाज अपनी इस कार्यवाही के द्वारा भारत सरकार के पास प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से हम यह महसूस कर सकेंगे कि हम आज इस विधान सभा के सदस्य डेमोक्रेसी के जिन मूल सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना चाहते हैं उनका निश्चित रूप से प्रतिपादन होगा।

जिस समय इस सदन में स्टेट रिओर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा हो रही थी उस समय भी इस सदन के कई सदस्यों ने स्टेट रिओर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में अपनी भिन्न भिन्न धारणाएं प्रस्तुत की थीं। अपनी धारणाएं व्यक्त करते समय सब लोगों की एक ही कल्पना थी कि जिस तरह की जनता की भावनाएं होंगी उसी तरह हमारी लोक सभा में उन भावनाओं की कद्र की जाकर उसी तरह का संशोधन होकर एडजस्टमेन्ट होगा पर इसके पारित होने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि जनता की भावनाओं की कद्र नहीं की गई। यही नहीं, बल्कि उनको बुरी तरह से कुचला गया।

स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार और बाद में देश में हुई प्रतिक्रिया के अनुसार यदि हम परिस्थिति को आंकें तो पता लगेगा कि सदन में इस तरह का संशोधन करने के पश्चात् जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं उनसे उत्पन्न नई प्रतिक्रियाओं और रिएक्शन के कारण ये संशोधन फिर किये गये हैं। इस सिलसिले में कई जगह देश में लडाई-झगडे हुए हैं तो उन झगडों को किसी तरह से निपटाने के लिये क्या व्यवस्था हो सकती है, उससे जो बात निकली है उसको सदन से एडजस्ट कराने के लिये यह संशोधन किया गया है। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचते तो जिन रिएक्शनरी फीलिंग्स के कारण

[श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)]

हमने कान्स्टीट्यूशन को बदलने की चेष्टा की है वह रिएक्शनरी फीलिंग पैदा नहीं होती और न कान्स्टीट्यूशन को बदलने की चेष्टा करने की जरूरत पड़ती। यदि महाराष्ट्र वाले बम्बई के लिये और गुजरात वाले गुजरात और बम्बई के लिये दंगा नहीं करते, लडाई झगड़ा नहीं करते तो संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। पर जब झगडे हुए और झगडों को किसी तरह से शान्त करने का दृष्टिकोण अपनाया गया जिससे कि परिस्थिति ऐसी बनती है कि लोगों को किसी तरह से सेटिस्फाई करना है तो उन्हें किसी तरह से सेटिसफाई किया गया और जब सेटिसफाई करने का दृष्टिकोण ही लेकर चलते हैं तो फिर यह दृष्टिकोण लुप्त हो जाता है कि वाजिब चीज कौन सी है। सेटिसफाई करने के दृष्टिकोण को लेने से जनता के सामने सारे विषय को साफ खुलासा वार रख कर पूर्ण जानकारी कराई जाकर जनता की राय जानने की चेष्टा करने का दृष्टिकोण छोडकर एक दृष्टिकोण रक्खा गया कि किसी तरह से उनके ये झगडे निपटा दें, इन्हें मिलादें, इसके बाद में लोगों को सेटिसफेक्शन हो जावेगा। यह गलत दृष्टिकोण था। मैं समझता हूं कि यह वैसी ही बात हुई जिस तरह अन्धकार में कोई टटोलता है और वहां उसे कहीं कोई लकड़ी मिल जावे और उसी लकडी के आधार पर अपने सारे भविष्य को ही आधारित करदे। तो ऐसी ही बात इसमें की गई है। ऐसा लगता है कि जिस तरह से बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र के झगडे चल रहे हैं उसी तरह से पंजाब, पैप्सू और हिमाचल के विलय के सम्बन्ध में झगडे चल रहे हैं। पर ये जब जब झगडे हुए तो उनमें एक समय एक बात तय होती है और दूसरी बार दूसरी बात। ये छोटे छोटे प्रान्त हैं उनको एक बडा प्रान्त बनाकर यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेन्ट की ओर ले जाना है और उस समय इस भावना से कहा जाता है कि इसमें तीन तीन चार चार जोनल एडमिनिस्ट्रेटिव कौंसिलें होंगीं और किसी न किसी विषय पर कान्स्टीट्यूशनल सैट अप पर अपनी राय देंगे।

लेकिन एक तरह हमारा दृष्टिकोण है जो जोनल कौंसिल के निर्माण से व्यक्त होता है वह दृष्टिकोण है, यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेन्ट को अपनाना है। पंजाब में जिस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया है वहां रीजनल कमेटी की बात हमारे सामने आती है तो इसमें ऐसा लगता है कि एकात्मक शासन की ओर जो हमारा दृष्टिकोण था वह नहीं रहकर हिन्दुस्तान को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्तवाद की ओर होने लगा है। रीजनल कौन्सिल इस दृष्टिकोण से करने लगे हैं कि लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज को प्रोटेक्शन देना चाहिये, वहां पर जो कुछ अल्पमत में है उन अल्पमत की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक समझा गया है। उन स्थान पर इस प्रकार की कमेटीज का निर्माण हुआ है। लेकिन एक तरफ रीजनल कमेटीज की बात, लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज के प्रोटेक्शन की बात, कही जाय दूसरी तरफ अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा इस दृष्टिकोण से किया जाय तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का दृष्टिकोण जहां बम्बई, गुजरात और सौराष्ट्र का विलय होता है वहां रीजनल कमेटीज का भी उस जगह निर्माण कर सकते हैं। गुजरात की ऐसी मांग है, बम्बई और सौराष्ट्र को ऐसी मांग है। यदि एडमिनिस्ट्रेशन की डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिये शासन के स्वरूप में रीजनल कमेटीज का निर्माण होता है तो रीजनल कमेटीज का निर्माण उन स्थानों पर भी होना चाहिए, लेकिन उन स्थानों पर रीजनल कमेटीज का निर्माण नहीं होकर पंजाब में किया जाता है।

आज लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज को प्रोटेक्शन दिया जाय, उसको भी माना जा सकता है लेकिन किस आधार पर लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज को प्रोटेक्शन दे रहे हैं वहां सोचना यह है कि पंजाब में

[श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)]

दो रीजन्स (region) बनाये गये हैं। एक में पंजाबी भाषा और दूसरे में हिन्दी भाषा बोली जायगी, लेकिन कोई लाइन आफ डिमार्केशन नहीं है कि अमुक स्थान पर पंजाबी भाषा बोलने वाले हैं और अमुक स्थान पर हिन्दी भाषा का प्रयोग करने वाले हैं। जिस जगह लाइन आफ डिमार्केशन नहीं है तो किस आधार पर, किस बेसिस पर, यह मानने को तैयार होंगे कि पंजाब को हिन्दी और पंजाबी भाषा के दो भागों में अच्छी तरह से विभक्त किया जा सकता है। पंजाब की स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान बनने के बाद काफी हिन्दू जो हिन्दी बोला करते थे और पंजाबी भाषा का भी प्रयोग करते हैं वे केवल एक मामूली से हिन्दी वाले हिस्सों में ही नहीं बल्कि पंजाब के पूरे हिस्से में चले गये और पंजाबी बोलने वाले क्षेत्र में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो हिन्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिन्दी भाषा के क्षेत्र में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। वैसी सूरत में लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज का प्रोटेक्शन नहीं हो सकता है। पंजाबी भाषा के क्षेत्र में कुछ एक हिन्दी भाषा बोलने वाले आ गये तो उनका सबसे ज्यादा बुरा हाल होगा। हिन्दी क्षेत्र में पंजाबी भाषा बोलने वाले आ गये तो सबसे ज्यादा उनका बुरा हाल होगा। वहां पर न एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी और न लिंग्विस्टिक माइनोरिटी के आधार पर अल्पमत को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, उस अधिकार की जो हम सुरक्षा करना चाहते हैं, वह भावना भी सिद्ध नहीं होगी।

इसके बाद, माननीय अध्यक्ष, रीजनल कमेटीज के कान्स्टीट्यूशन के बारे में इस एमेन्डमेन्ट बिल में जिक्र किया है कि इन कमेटीज के क्या अधिकार होंगे ? इन कमेटीज के बारे में जो अधिकार की बात कही गई है उसमें कहा गया है कि लैजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर्स और मिनिस्टर्स उसको कान्स्टीट्यूट करेंगे। लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है कि मान लीजिये एक पंजाब का मिनिस्टर है वह रीजनल कमेटी का मेम्बर होता है तो उसकी लोयल्टी डिवाइडेड होगी। एक तरफ उसकी लोयल्टी होगी, केबिनेट में उसका मेम्बर होने के नाते और दूसरी तरफ उसकी लोयलटी रीजनल कमेटी का मेम्बर होने के नाते। हम इस तरह से डिफेन्ड करते हैं, हम इस तरह का प्रचार करते हैं, हम अपनी स्थिति को इस तरह से डिफेन्ड करते हैं कि लोगों में संकीर्णता का प्रसार न हो, लोगों में प्रान्तीयता-की भावना, लोगों में क्षेत्रीय भावना आदि सारी ऐसी भावनाओं का निराकरण होकर हमारा देश एक है, इस तरह से स्वीकार करें। लेकिन पंजाब का जो नक्शा, रीजनल कमेटीज के फन्क्शन को देखेंगे तो निश्चित् रूप से पता लगेगा कि लोयलटी को डिवाइड करके, लोगों के फंक्शन्स को डिवाइड करने के लिये, लोयल्टी और फंक्शन्स के बारे में लोगों में क्षेत्रीय भावना पैदा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्षेत्रीय परिषदों से, पंजाबी भाषा और हिन्दी भाषा के आधार पर जो रीजनल कमेटीज का निर्माण किया है उससे जो हम देश को एक बनाने की चेष्टा कर रहे हैं वह देश में एकात्मक शासन द्वारा होगा, जो इस तरह की भावना कि हमारा देश एक है, का निर्माण करना चाहते हैं वह भावना उससे निर्मित नहीं होगी, बल्कि इस देश के टुकड़े होकर, छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर देश में विप्लव मच जायेगा।

रीजनल कमेटीज के अधिकार के बारे में इस तरह से दिया गया है कि दो रीजनल कमेटीज होंगी, एक पंजाबी जोन के लिये और एक हिन्दी जोन के लिए। इनके बारे में रीजनल कमेटी के मामलों में कभी मामला ऐसा आ गया कि जैसे पंचायतों को ले लीजिये क्योंकि पंचायतें लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट रीजनल कमेटीज के अधिकार में हैं, तो उनमें पंजाबी भाषा के क्षेत्रों की रीजनल कमेटीज ने इस तरह

[श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)]

की सिफारिश की कि पंचायतों में जितनी माइनोरिटीज हैं, जितनी लिंग्विरिटक माइनोरिटीज हैं उनकी सीट्स रिजर्व होनी चाहिये। दूसरा है हरियाना का हिन्दी भाषी क्षेत्र वहां के रीजन की एक कमेटी होगी। वह इस तरह की सिफारिश करती हैं कि इस तरह का रिजर्वेशन नहीं किया जाय। तो यह दोनों रायें पंजाब गवर्नमेन्ट के पास जायेंगी और पंजाब गवर्नमेन्ट दोनों से डिफर करती है तो उसमें कॉन्स्टीट्यूशन बिल में यह व्यवस्था है कि डिफरेन्स आफ ओपीनियन हो, कोई ओब्जेक्शन हो, तो वह सारी की सारी गवर्नर के पास भेजी जायगी और गवर्नर उसकी अन्तिम आथोरिटी होगी। तो इसके मायने यह हुए कि डैमोक्रेसी की हत्या की। पंजाब में विधान सभा के ऊपर गवर्नर के पावर्स रख दिये हैं कि यदि पंजाब सरकार और रीजनल कमेटीज में डिफरेन्स आफ ओपीनियन हो, एक ओपीनियन नहीं होती है, विधान सभा कोई उस इलाके के लिए कानून बना देती है और रीजनल कमेटी उससे मतभेद रखती है तो वह गवर्नर के पास जायेगा और गवर्नर को सर्वोच्च सत्ता देकर यह अधिकार दे दिया है कि विधान सभा की राय को, केबिनेट की राय को दूर रखकर अपना निर्णय करे। तो हमारी वह राय कि हम गवर्नर को कॉन्स्टीट्यूशनल हैड समझते हैं और वह पार्टी पोलिटिक्स से बिल्कुल दूर होगा, गवर्नर डे टू डे वर्किंग में इन्टरफियर नहीं करेगा, लेकिन इस प्रकार के अधिकार यदि कानून में रहें कि इस कमेटी में और पंजाब विधान सभा में और पंजाब राज्य में यह संघर्ष हो तो वह गवर्नर के पास निपटाने के लिए जायेगा तो निश्चित रूप से जो डैमोक्रेसी के अधिकार हैं उन अधिकारों का हनन होगा। दूसरी तरफ हम गवर्नर को एक इम्पार्शियल कॉन्स्टीट्यूशनल हैड रखना चाहते हैं वह इम्पार्शियल कॉन्स्टीट्यूशनल हैड नहीं रहने वाला है। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के डे टू डे वर्किंग में इन्टरफियर करके अपने आपको पार्टी पोलिटिक्स में डालने की कोशिश करेगा। वैसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष, कि रीजनल कमेटीज के लिए जो इस कॉन्स्टीट्यूशनल एमेन्डमेंट बिल में दिया गया है वह निस्संदेह हमारे देश के लिए घातक है। न उससे किसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन की सुव्यवस्था हो सकती है और न लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज को सुरक्षा देने की बात कही जा सकती है। इसमें सिर्फ हमारी राष्ट्रभाषा का अपमान करने की चेष्टा की गई है कि हमारी राष्ट्रभाषा का प्रचार न हो, इस बात की व्यवस्था की गई है। भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा के लिए किस प्रकार से कमीशन मुकर्रर होता है? लाखों रुपये टेक्सपेयर्स के उसमें खर्च किये जा रहे हैं। सारी इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि हिन्दी का प्रचार किसी प्रकार से हो, दूसरी तरफ हिन्दी के प्रसार को रोकने के लिए कुछ कोम्यूनल माइन्डेड लोगों को खुश करने के लिए, अकालियों के नाम पर समझौता करने के लिए, अकालियों को कांग्रेस में घुसाने के लिए, अकालियों के सामने वह सरकार जो साम्प्रदायिकता को खत्म करने का दावा करती है वही सरकार अकालियों के नीचे नतमस्तक होकर साम्प्रदायिकता को अपनाकर आगे इस प्रकार की व्यवस्था कर रही है कि जो न केवल पंजाब के लिए ही घातक होगी बल्कि सारे भारतवर्ष के लिए घातक होगी। मैं निवेदन करूंगा कि जिस कॉन्स्टीट्यूशन में देश को इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े करने की व्यवस्था की गई है उस कॉन्स्टीट्यूशन (एमेन्डमेंट) बिल को स्वीकार करने की स्थिति में हमें नहीं होना चाहिए।

दूसरा सवाल आता है कि इस कॉन्स्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल में सारे राज्यों को 'अ' श्रेणी में लिया गया है लेकिन कुछ ऐसे भाग हैं जिन भागों को यूनियन टेरीटरी रखा गया है, जिनके

[श्री भरूंसिह (दांता रामगढ़)]

अन्दर प्रेसीडेन्ट का ही डाइरेक्ट रूल होगा। आज कोई आदमी यह कल्पना करे कि जिस विधान की पवित्रता की हम शपथ लेते हैं, जिस विधान के मूल अधिकारों में, डैमोक्रेसी के मशीनरी में इस प्रकार की व्यवस्था होगी और उस व्यवस्था के द्वारा हम अपना स्वराज्य लेंगे वह मैं समझता हूं कि यूनियन टैरीटरी का जहां प्रश्न आता है वहां उसमें स्वराज्य की भावना बिल्कुल नहीं होती है। वहां के लिए प्रसीडेन्ट को अधिकार दिया है कि वह उस जगह के लिये एक चीफ कमिश्नर एप्वाइन्ट करे, एक जुडिशियल आफिसर एप्वाइन्ट करे। यूनियन टैरीटरी ही एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां उन लोगों को डेमाक्रेसी के मूल अधिकारों से वंचित किया गया है।

दूसरी बात आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन में और राज्यों में विधान सभा का निर्माण करेंगे और विधान सभाएं ही उस प्रान्त के लिए कानून बनायेंगी और वह कानून ही उन राज्यों पर लागू होगा लेकिन दिल्ली और मणिपुर आदि जो यूनियन टेरीटरीज हैं वहां के लोगों को जो कुछ और लोगों को मूल अधिकार हैं उनको वे नहीं होगें। उनके लिए डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी दूसरे प्रान्तों के लिए ही है।

तो कोई कारण नहीं है कि एक ऐसी यूनियन टेरीटरी के प्रान्त को इससे स्वतन्त्र न रखें कि वे गवर्नमेन्ट बना सके और उस क्षेत्र के राज्य का संचालन करे। मैं समझता हूं कि यह परिपाटी अच्छी होगी। लेकिन पार्लियामेन्ट के अधिकारों के ऊपर भी प्रेसीडेन्ट को अधिकार दिये हैं। हमने प्रेसीडेन्ट को ये अधिकार दिये हैं कि पार्लियामैन्ट के द्वारा जो निर्मित कानून हैं उन कानूनों में जिनको वह चाहे वह उन यूनियन टेरिटरीज पर लागू करे और जिनको वह चाहे उनको वह लागू न करे। इसका मतलब तो यह हुआ कि हमने प्रेसीडेन्ट को ये अधिकार दिये हैं, कि रीजनल कमेटीज के मतभेदों को दूर करने के नाम पर जो प्रेसीडेन्ट को अधिकार दिये हैं वे एक तरह से उनको सोवरिन पावर्स दे दिये हैं कि यूनियन टेरीटरी पर पार्लियामेन्ट द्वारा जो निर्मित कानून है उनमें से वह चाहे उनको लागू करे और न चाहे न लागू करे और,इसके साथ साथ वह चाहे वैसे कानून बना कर लागू करे। इससे तो स्पष्ट रूप से यह क्यों न माना जाय कि राजस्थान में ही नहीं किन्तु सारे हिन्दुस्तान में डैमोक्रेसी को पनपने के लिए जो दावा कर रहे हैं वे उस डैमोक्रेसी के सिद्धान्तों को पनपा नहीं रहे हैं किन्तु इन पांच वर्षों के बाद उसको खत्म करने की चेष्टा कर रहे हैं। वैसी सूरत में पार्लियामैन्ट के अधिकारों के ऊपर प्रेसीडैन्ट को इस प्रकार के अधिकार नहीं होने चाहिये। यदि प्रेसीडेन्ट इस प्रकार के अधिकार ले भी तो कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि उस क्षेत्र के जो एम. एल. ए. या एम.पीज हैं उनकी रिकमन्डेशन हो तो उसको संशोधित करे लेकिन पार्लियामेन्ट के द्वारा बनाये गये कानून को न लागू करने के प्रेसीडैन्ट को अधिकार दे देने का मतलब यही होगा कि उस क्षेत्र में उस प्रान्त के लोगों को शासन चलाने का, राज्य करने का अधिकार नहीं है।

दूसरा है ज्यूडिशियल कमिश्नर्स की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में। राजस्थान में यदि कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो किसी कोर्ट के फैसले के विरुद्ध वह हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन त्रिपुरा, मणिपुर, निकोबार और अन्डमान में रहने वाले व्यक्ति ने अगर किसी का मर्डर कर दिया है, हत्या कर दी है, तो वह मामला जायगा ज्यूडिशियल कमिश्नर के पास। और अगर राजस्थान में किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है तो वह जा सकता है हाईकोर्ट के पास। एक ही प्रकार की श्रेणी के

[श्री भैरूंसिंह दांता रामगढ]

लोगों में यह विभिन्नता क्यों ? हम यह समझते हैं कि हाईकोर्ट के जज पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर होते हैं, उनका जजमेन्ट इम्पार्शियल होगा और जितने भी ज्युडिशियल कमिश्नर्स होते हैं वे सेशन जजेज की श्रेणी के होते हैं। एक जगह एक हत्या के केस में डिस्ट्रिक्ट जज फैसला देता है और हाईकोर्ट में जाकर फैसला उलट जाता है और हत्या के आरोप से बरी हो जाता है। तो इस तरह के डिस्ट्रिक्ट जजेज को इस प्रकार के अधिकार देना उपयुक्त नहीं है। हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट का निर्माण करें, उन लोगों को प्रोटेक्शन दें। लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि हाईकोर्ट जिस मामले में इस प्रकार से निष्पक्ष और पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर फैसला देती है और फांसी के तख्ते से जिस व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है, ज्युडिशियल कमिश्नर्स (डिस्ट्रिक्ट जजेज) जो फैसला दे वही फैसला कायम रहे। यह जो विभेद रखा गया है वह विभेद आज इस डेमोक्रेसी में शोभा की चीज नहीं कही जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष, अब जोनल कौंसिल का प्रश्न आता है। भारतवर्ष में जोनल कौंसिल होंगी। इसके फन्क्शन्स क्या २ होंगे, यह कॉन्सटीट्यूशनल बिल में कहीं नहीं हैं। क्या राय देनी होगी ? क्या उनकी राय प्रान्तीय सरकारों को मानने के लिए बाध्य होना पडेगा, क्या उनकी राय पार्लियामेन्ट या भारत सरकार को माननी पडेगी इसका कहीं इसमें संकेत नहीं है ? कहा जाता है कि ये जोनल कौंसिल्स हमने एडमिनिस्ट्रेशन में जो खामियां पैदा कर दी हैं उनको दूर करके एडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेन्सी को बढाने वाली होंगी। एफीशियेन्सी तो बढने वाली नहीं होगी बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में उलझन जरूर पैदा करने वाली होंगी। आज हम जितना एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशियेन्सी को लाने के लिए जितना बोझा टैक्स पेयर पर डालते हैं यह जोनल कौंसिल टैक्स पेयर्स पर और बोझा डालने वाली होंगी। लोग कहते हैं कि जोनल कौंसिल कोओर्डिनेशन करेगी। अगर एक प्रान्त का दूसरे प्रान्त से डवलप्मेन्ट के विषय में मतभेद होगा तो उस हालत में एडमिनिस्ट्रेशन में कोओर्डिनेशन होगा, उस कोओर्डिनेशन में काफी मतभेद हो सकता है और काफी नुकसान भी हो सकता है लेकिन जोनल कौंसिल का निर्णय हो जायगा तो उससे एफिशियेन्सी बढेगी। माननीय अध्यक्ष, मुझे इसमें संदेह है। किसी की पावर्स को प्रेसक्राइब न करें और ऐसे रूप में उसको इस प्रकार के अधिकार दे दें, तो एफिशियेन्सी तो नहीं बढेगी लेकिन एक तरह से पावर स्ट्रगल होगी। सैन्ट्रल गवर्नमेंट चाहेगी कि हमारा अधिकार होना चाहिये और प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट कहेगी कि इस प्रकार का जोनल कौंसिल को अधिकार नहीं है। तो इसमें ठीक ढंग जो पावर्स प्रेसक्राइब होनी चाहिए। वह नहीं है।

इन सबसे ज्यादा मोटी बात जो मुझे नजर आती है वह है अपर चैम्बर्स की। जिस वक्त भारतवर्ष में अपर चैम्बर्स की व्यवस्था कायम हुई थी, बनाने वालों के दिमाग में एक बात थी। बनाने वाले थे ब्रिटिशर्स। भारतवर्ष में उस समय जो आग भडकी हुई थी, उस आग को ठंडा करने के लिए, उनके दिमाग में यह बात थी कि अगर इस प्रकार की बात को मान लिया जाता है तो इलेक्शन्स करने पडेंगे, लेजिस्लेटिव कौंसिल्स बनानी पडेंगी, उन सब पर एक प्रकार से चैक डालने के लिए, उन पर अकुश कायम करने के नाम से कौंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर चैम्बर्स कायम करना चाहिए और यह व्यवस्था की गई। हमें यह उम्मीद थी कि जब भारतवर्ष का संविधान बनेगा और इस विषय में भारतवर्ष के लोगों की राय जानी जावेगी तो जनता एक मत से यह राय देगी कि अपर चैम्बर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। उस वक्त भी इस बात के लिए यही राय थी कि इन अपर चैम्बर्स की कोई आवश्यकता नहीं है

[श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)]

लेकिन उस वक्त यह कहा गया कि ऐसे टेक्निकल हैन्ड्स हैं उनको लेजिस्लेटिव बिजनेस में लाने के लिए, उनको इलेक्शन्स से तो ला नहीं सकते, इन्डाइरेक्ट इलेक्शन्स से लाने की चेष्टा की जा रही है। लेकिन अपर चम्बर्स के जितने इलेक्शन्स हुए हैं, अनुभव इस बात का हुआ है कि, इन अपर चैम्बर्स में टेक्निकल हैन्ड नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जाते हैं जो या तो लेजिस्लेटिव असेम्बलीज या पार्लियामेन्ट के इलेक्शन्स में जनता द्वारा हरा दिये गये हैं, जनता ने जिन लोगों को हटाकर तिरस्कृत कर दिया है, जनता का जिन लोगों के प्रति कॉन्फिडेन्स नहीं है, उन्हीं लोगों को कौंसिल ऑफ स्टेट्स में जनता का भाग्य विधाता बनाकर बैठा दिया जाता है। इससे बढ़ कर इस देश के लिए शर्म के सिवाय और कोई बात नहीं हो सकती है कि एक तरफ तो जनता उन लोगों का तिरस्कार करके उनको हटा देती है कि ये हमारे विश्वास के नहीं हैं, वे हमारे वोट हासिल करके जीत नहीं सकते हैं और दूसरी तरफ उन लोगों को जनता के प्रतिनिधि बना कर इन अपर चैम्बर्स में बिठा दिया जाता है। उन हारे हुए लोगों को कम्पेन्सेट करने के लिए, उन लोगों को नामजद करने के लिए, इस प्रकार को अपर चैम्बर नाम की संस्था कायम कर दी जाती है। कायम करने में कोई दिक्कत नहीं, यदि उसका कोई उपयोग हो तो। आज तक भारतवर्ष में जितने अपर चेम्बर्स हैं उन सबकी हिस्ट्री उठा कर देखें तो पता चल सकता है कि अपर चैम्बर ने कोई ऐसी राय दी हो, या कोई मार्ग प्रदर्शित किया हो जिससे कि सही मार्ग पर जाने का मौका मिला हो, एडमिनिस्ट्रेशन में एफीशियेन्सी बढ़ी हो, एडमिनिस्ट्रेशन में जो त्रुटि आने वाली थी वह त्रुटि नहीं आई हो, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गडबडी नहीं आई हो, लेकिन आज तक यह हुआ है कि पार्लियामेन्ट ने कानून पास कर दिया वो कौंसिल ऑफ स्टेट्स में चला गया या किसी विधान सभा ने कानून पास कर दिया तो वह अपर चैम्बर में चला गया। अतः आज इन अपर चैम्बर्स की कोई आवश्यकता नहीं। एक तरफ तो हम यह मांग कर रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना के लिए ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धन बचाना चाहिए और दूसरी तरफ पोलिटिकल सफरर्स, जिनको जनता ने चुनावों में हरा दिया उनको कौंसिल ऑफ स्टेट्स में भेज कर उसका निर्माण करते हैं। थोडी देर के लिए यह मान भी लिया जाय कि इन अपर चैम्बर्स की आवश्यकता है, तो राजस्थान में भी अपर चैम्बर होना चाहिए लेकिन राजस्थान में कोई इस प्रकार का चैम्बर नहीं है। वह यहां की जनता के मंशा के खिलाफ जरूर है लेकिन कानूनी त्रुटि इसमें कहीं हो ऐसी बात नहीं दिखाई देती है। यू. पी. में है, बंबई में है। वहां भी चले जाइये, हमारे यहां के काम में और वहां के काम में कोई अन्तर नहीं है। हम भी इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और वे भी इसी तरह से कर रहे हैं। कुछ प्रान्तों में इसकी आवश्यकता है और कुछ प्रान्तों में इसकी आवश्यकता नहीं है। यह इस बात की द्योतक है कि यह एक प्रकार का जनता के ऊपर बोझा है। माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि ये चेम्बर्स गैरजरूरी हैं और इनको हटाने की कोशिश करनी चाहिए।

बाद में आता है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में जो शिड्यूल है वह। उस शिड्यूल के नं० १५ पर "जम्मू और काश्मीर स्टेट" लिखा है। पांच वर्षों में कांग्रेस नेताओं के और दूसरे नेताओं के भाषण सुने हैं। पार्लियामेन्ट के अंदर और बाहर के उनके भाषण सुने हैं। किसी इलेक्शन स्पीच में भी उन्होंने इस बात को कहा है और इन्टर्नेशनल मामलों के बारे में कई मीटिंगें हुई हैं उनमें भी प्रधान मंत्रीजी के मुंह से और अन्य उनके अनुयायियों के मुंह से भी सुना है कि काश्मीर हमारा है, काश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा है, काश्मीर भारतवर्ष से अलहदा नहीं हो सकता क्योंकि काश्मीर

[श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)

हिन्दुस्तान का अविभाज्य अंग है । इसके बाद भी हम शिड्यूल नं १५ को देखते हैं तो आर्टिकल ३७० का उसमें रहना इस बात का संकेत है कि काश्मीर के बारे में जिस नीति को निर्देशित किया है वह बिल्कुल अस्पष्ट है और आज तक जिस बात का दावा करते आ रहे हैं कि काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है उस दावे का इसको देखते हुए कोई महत्व नहीं रहता । यदि विशेष बात होती तो काश्मीर की भी दूसरे स्टेट्स के माफिक ही स्थिति रखी जाती और लोक सभा के द्वारा जितने भी कानून पास किये जाते हैं वे सब काश्मीर पर भी लागू होते और सुप्रीम कोर्ट का जितना जुरिस्डिक्शन है वह काश्मीर पर भी लागू होता लेकिन यह सब काश्मीर पर लागू नहीं हुआ । उसका मतलब यह है कि जो बात हम कहते हैं वह करते नहीं हैं । कॉन्सटीट्यूशन में जब संशोधन लाना होता है तब उसमें इस बात को नहीं लाते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्पष्ट नहीं है । आर्टिकल ३७० को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है वह इस बात का संकेत है कि भारत का अविभाज्य अंग काश्मीर को मानते हैं लेकिन उसको कानूनी रूप देने को तैयार नहीं हैं । ऐसी सूरत में इस प्रकार का संशोधन इसमें होना चाहिये था ।

आगे मैं यह निवेदन करने वाला था कि आजकल यदि हम किसी हाई कोर्ट में जावें और वहां के बढ़े हुए काम का अंदाजा लगावें और मुकदमें कितने बढ़े हैं, इस बात का अंदाजा लगावें तो आपको पता लगेगा कि किसी केस को पेशी आज है और यदि वह केस बहुत जरूरी नहीं तो उसकी दूसरी पेशी ६ महीने बाद होगी । यदि किसी मातहत कोर्ट से जजमेन्ट इम्पार्शियल नहीं हुआ है और उसमें त्रुटि रह गई है तो पार्टीज को रिलीफ किस प्रकार मिले इसके लिये हाई कोर्ट में जाकर उम्मीद करते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी न्याय मिले । मैं हाई कोर्ट में जितने भी जज हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता लेकिन मुकदमों को संख्या इतनी है कि वे उनको जल्दी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते । वैसी सूरत में हमको यह सोचना पड़ेगा कि हाई कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ानी चाहिये थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया । सभी लोगों की मांग है कि हाई कोर्ट के जजों को संख्या बढ़ानी चाहिये लेकिन इसके बावजूद भी उनकी संख्या नहीं बढ़ाई गई । हाई कोर्ट के जजों के समान स्केल ऑफ पे (Scale of Pay) निश्चित की गई है । अब राजस्थान, पंजाब, यू. पी. आदि के हाई कोर्टों के जजों की तनख्वाह एक समान होगी, उनके ट्रान्सफर्स भी हो सकेंगे । यह व्यवस्था हो चुकी है लेकिन उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी । उनकी संख्या बढ़ाने के बारे में भी विचार होना चाहिये ।

अब मुझे दूसरी बातों के बारे में निवेदन करना है । हमें इन सारी बातों को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेन्सी को ओर ध्यान देना है । स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिओर्गेनाइजेशन को देखें । स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट को पेश करने की तारीख आज तक हिन्दुस्तान में जो जो परिस्थितियां आई हैं उनको गहरी दृष्टि से देखें तो एक बात मिलती है कि लोगों की प्रान्त निर्माण की भावना में प्रान्त का हित निहित नहीं है लेकिन यह भावना निहित है कि उनकी गद्दियें किस प्रकार से सुरक्षित रहें ? आज कोई कहते हैं कि अजमेर राजस्थान में नहीं मिलना चाहिये, भोपाल को मध्यप्रदेश में नहीं मिलना चाहिये । लेकिन ये बातें कहते कौन हैं ? ये बातें वे ही लोग कहते हैं जिनको अपनी गद्दियों का खतरा है । जिनको यह खतरा है कि यदि अजमेर मिल गया तो मुमकिन है कि राजस्थान के मंत्री मंडल में हमको स्थान नहीं मिले । वे लोग इस प्रकार की चेष्टाएं करते हैं । लेकिन इससे लोगों को गलतफहमी होती है और अशान्ति का

[श्री भैरोंसिंह (दांतारामगढ़)]

वातावरण पैदा होता है । यदि इस अशान्ति के वातावरण में प्रान्त रचना की बात सोचते हैं तो उससे अहित ही होता है । जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंग हैं वे अपनी स्वतंत्र राय नहीं दे सकते । इन सारी बातों को जो लोग करते हैं उनका अभिप्राय है अपने स्वार्थ की पूर्ति करना । लेकिन हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि देश का हित किसमें है । यदि इसमें राजस्थान प्रान्त खत्म होता है तो उसकी चिन्ता हमें नहीं करनी चाहिये । यदि यू० पी० और बिहार प्रान्त खत्म होते हैं तो हमें उसकी भी परवाह नहीं करनी चाहिये । हमको चेष्टा यह करनी थी कि सारे भारत में एक पार्लियामेन्ट हो और प्रान्तीय विधान सभाएं खत्म हो जावें, प्रान्तीय कौंसिलें समाप्त हो जावें और एक संसद और एक मंत्री-मंडल सारे भारत में राज्य करे । यह एकता पैदा करने वाली बात है । हमने राष्ट्र भाषा हिन्दी घोषित की है, इसका मतलब यह है कि सारे देश में एक भाषा का प्रयोग हो जिससे कि एकता की भावना का निर्माण हो । लेकिन हम एकता की भावना का निर्माण करने वाले सिद्धान्त के प्रतिकूल जा रहे हैं । पाकिस्तान को हम अपना छोटा भाई कहते हैं । प्रधान मंत्रीजी अपने भाषणों में इसको अपना छोटा भाई कहते हैं लेकिन वहां पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं । पाकिस्तान में खाली उर्दू ही बोली जाती हो, ऐसा नहीं है । वहां पर ईस्ट और वेस्ट का झगडा भाषा के आधार पर ही है । लेकिन वहां पर युनिटरी फोर्म ऑफ गवर्नमेन्ट होनी चाहिये, इस बात को बल दिया जाता है । वहां पर एक भाषा नहीं है । उर्दू और दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं । वैसी सूरत में भी पाकिस्तान युनिटरी फोर्म ऑफ गवर्नमेन्ट की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है । इसी प्रकार से इंग्लैंड में भी युनिटरी फोर्म ऑफ गवर्नमेन्ट है । इंग्लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सबसे बढ़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन है । वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा बनाया है वह है युनिटरी फोर्म ऑफ गवर्नमेन्ट । वहां पर छोटे छोटे प्रान्तों को गवर्नमेन्ट नहीं है, वहां पर प्रान्तीय विधान सभाओं द्वारा शासन में हस्तक्षेप नहीं होता है । इसी से वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशियेन्सी है । इसलिये एक ही जगह से एडमिनिस्ट्रेशन का संचालन होना चाहिये । हमारे यहां भी युनिटरी फोर्म ऑफ गवर्नमेन्ट को स्वीकार करना चाहिये था । प्रान्तीय विधान सभाओं और कौंसिलों को समाप्त करना चाहिये था । इन पर गरीब जनता के जो लाखों रुपये खर्च होते हैं उनसे उनको मुक्त करके सारी शक्ति युनिटरी फोर्म ऑफ गवर्नमेन्ट बनाने में लगाते तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशियेन्सी आती और गरीबों पर जो कर का भार है उससे उनको मुक्ति मिलती । एक्ट बनाने के कारण होते हैं और उसमें कई तरह की भावनाएं निहित होती हैं । इस बिल में जो भावना निहित है उसमें कई ऐसी खामियां हैं जिनके कारण इस रूप में यह स्वीकार किये जाने की स्थिति में नहीं है ।

एक बात मुझे लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज के बारे में और कहनी है । इसके बारे में एक कमीशन नियुक्त हुआ था जिसने राय दी थी कि जो लोग अल्पमत के हैं उनको उन्हीं की मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिये । मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्रश्न आता है लेकिन हमको लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज को उनकी भाषा में ही शिक्षा देने की व्यवस्था करनी होगी । मान लीजिये कोई एक गांव है जिसमें सब हिन्दी बोलने वाले हैं और केवल ५ आदमी उर्दू जानने वाले हैं तो ये ५ आदमी उर्दू में शिक्षा पाने के लिये क्लेम कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें शिक्षा उर्दू में दी जाय । इसका

Page No.34

[श्री भैरोंसिंह (दांतारामगढ)]

मतलब यह होगा कि जहां कई भाषाओं को अपनी मातृभाषा कहने वाले लोग हैं उनके लड़के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको अलग अलग मातृ भाषाओं में शिक्षा देने के लिये अलग अलग अध्यापक रखने पड़ेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जाय लेकिन सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार की मातृभाषा में किस प्रकार का प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज यह कहा जा सकता है कि कौनसी प्रान्त की भाषा का कोड बना देंगे और राजस्थान सरकार को कहना पड़ेगा कि अमुक अमुक प्रकार की मातृभाषा है उसमें आपको शिक्षा दे सकते हैं।

लेकिन अब तक इस कोड की व्यवस्था नहीं की गई है, जब इस प्रकार का कोई कोड नहीं है, जब इसका कोई स्पष्ट चित्र नहीं है, जब इसका कोई प्लान नहीं है, उस सूरत में हम मातृभाषा में छोटे छोटे रूप में शिक्षा देने की व्यवस्था कर रहे हैं, इससे मातृभाषा को प्रोत्साहन मिलेगा, पर इसके स्थान पर विभिन्नता की भावना पैदा नहीं हो जाय। वह भावना पैदा हो गई तो मातृभाषा को भले ही इससे थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिले या न मिले पर देश को सबसे पहले नुकसान होगा। मातृभाषा में शिक्षा देने के लिये सबसे पहले कोड बनाने की तयारी हो और यदि कोड का अभाव है तो वह व्यवस्था कभी हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि इस संशोधन विधेयक में जो त्रुटियां हैं उनके रहते हुए इसको स्वीकार करने से पूर्व सदन को काफी गंभीरता से सोचना चहिये।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष ....

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष ......

श्री रामकिशोर व्यास—मैं तो आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा था कि इस प्रस्ताव पर बहस हो रही है, उसी दायरे में सीमित रखी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि एस. आर. बिल के बारे में हम पहले विचार कर चुके हैं और उसके सिद्धान्तों को स्वीकार कर चुके हैं। जिस सिद्धान्तों को सदन मान्यता दे चुका है उन पर फिर विचार करना सदन का वक्त जाया करना होगा। इसलिये पहले जिन बातों पर विचार किया जा चुका है उनके अलावा और कोई नई बात आई हो, उस पर अगर वाद-विवाद का दायरा रहे तो ज्यादा अच्छा हो, नहीं तो सदन का वक्त जाया होगा।

(श्री जवान सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—He (Law Minister) is not replying. This is only consequential to the States Reorganisation Bill.

श्री जवानसिंह—But the suggestion is too late.

श्री अध्यक्ष—The other members will keep to the limit.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, अभी जिस प्रस्ताव के ऊपर बहस चल रही है उसमें अभी जैसा कि संकेत किया गया था मेरे से पूर्व वक्ता ने सारे भारत के ऊपर इस विधान में संशोधन होने पर

[श्री जवानसिंह]

क्या असर पड़ेगा इन बातों की ओर संकेत किया है। मैं जहां तक राजस्थान के ऊपर इस संशोधन के पास होने के बाद में किस प्रकार का असर हुआ है इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां तक हमारे राजस्थान के साथ में जो हिस्से जोड़े गये हैं या जो हिस्से राजस्थान से पृथक हुए हैं उनके बारे में हमको तमाम को संतोष है। हमें खुशी है हम इस चीज का स्वागत करते हैं कि आबू का हिस्सा जो हमसे अलग कर दिया गया था, खो गया था, वह हमें वापिस मिल गया है। इसी तरह सिरोंज का हिस्सा जो हम से पृथक था वह मध्यभारत में मिल गया तो इससे हमें कोई शिकायत नहीं। इन बातों को देखें तो हमें खुशी होनी चाहिये ओर यह जो कानून बना है उसको स्वागत के रूप में ग्रहण करना चाहिये।

अब प्रश्न रहा कौन कौनसे संशोधन विधान में कर दिये गये है जिसके लिये बहस में हम कुछ निवेदन करें। एक चीज मुझे नजर आई है। ख्याल था कि शायद हमारे इस विधान में संशोधन होने के बाद भारत का दूसरा नक्शा आयेगा, उसमें छोटे बड़े का अन्तर नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं कि यूनियन टैरिटरी कायम है। देशी रियासतों के समय में राजा लोग अपने निजी हाथ खर्च के लिये हाथ खर्च के रूप में जागीरें रखा करते थे। पूरी स्टेट की इनकम अलग होती थी पर राजा लोग निजी खर्च के लिये इस प्रकार की जागीरें रखा करते थे कि उस रुपये को वे जिस प्रकार चाहें निजी खर्च में खर्च करें। इस विधान में ऐसा लगता है कि प्रेसीडेन्ट के हाथ खर्च के लिये भी कुछ एरियाज रखे गये हैं जिनका नाम यूनियन टैरिटरीज रखा है। यह अजीब तमाशे की बात हमारी नजर में आई है, स्वतन्त्र भारत में भी इस प्रकार की व्यवस्था होगी इस प्रकार की कल्पना हम नहीं कर सकते थे। इसके लिये कहा जाता है कि कुछ क्षेत्र हैं जो अपनी उन्नति ठीक तरह से नहीं कर पाये हैं इस लिये उनकी ओर खास ध्यान देना है। क्या इस प्रकार की दलील हमने अंग्रेजों के सामने रखी थी या अंग्रेजों ने इस प्रकार की दलील हमारे सामने रखी थी कि भारत के बहुत से हिस्से ऐसे हैं कि वे आजादी के काबिल नहीं हैं, इसलिये उन हिस्सों को आजादी नहीं देनी चाहिये। पर हम मांग करते थे कि हमें समूचे रूप में आजादी दी जाय। भारत में जो यूनियन टैरिटरीज इसमें रखी गई हैं उनकी जरूरत नहीं थी कि उनको अलग रखा जाता और उनके लिये अलग व्यवस्था की जरूरत रहती।

इसके अलावा कुछ रिजर्वेशन के मामले भी रखे गये हैं। जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है इस बारे में हमारा दुखद अनुभव है कि जहां जहां कुछ लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं वहां नतीजा हमेशा बुरा ही रहा है। मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा जब कि मुस्लिम लीग को विशेष अधिकार दिये गये थे, उसका नतीजा यह हुआ कि एक दूसरा राज्य ही बन गया। ऐसी चीजें बीज रूप में छोटी होती हैं पर दुख इस बात का है कि बाद में इतनी अधिक बढ़ जाती है कि जिनका अन्दाजा ही नहीं लगा सकते। भलाई के रूप में कुछ रिजर्वेशन रखे हैं कि प्रेसीडेन्ट चाहेंगे तो विशेष व्यवस्था कर सकेंगे। इन विशेष परिस्थितियों की ओर बढना चाहते हैं पर लक्ष्य साफ नहीं है।

दुख इस बात का है कि एक नेता के दिमाग में एक चीज आई है, रीजनल कौन्सिल के बारे में, विचार उनके दिमाग में आया और विधान में उन्होंने रख दिया। यह प्रेक्टिकल हो सकेगा कि नहीं, इससे कोई फायदा हो सकेगा कि नहीं, इन चीजों के बारे में व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया। नतीजा

[श्री जवाहरसिंह]

मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर हम समूचे भारत के लिये सोचें कि उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है, एक राज्य को दूसरे राज्य में मिला कर आपस की, परेशानियों के लिये बात करना है तो फिर मिल कर इन्हें तय करना चाहिये। वैसे हमारे मुल्क में आये दिन नई नई कान्फ्रेंसेज होती हैं हजारों लाखों रुपया खर्च होता है पता नहीं इनसे कुछ फायदा होता है कि नहीं। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कौनसी परेशानियां हैं इसको हल करने के लिये ऐसे मौकों पर विचार किया जा सकता है इसके लिये विचार करने को कई इस प्रकार के मौके मिलते हैं। भविष्य में जाकर रीजनल कौंसिल्स हैं वे नये राज्य का रूप धारण करलें, नया नक्शा बन जाय, जितनी रीजनल कौंसिल्स हैं उतने ही राज्य हिन्दुस्थान में रहें और इनके जितने पार्टनर हैं या प्रान्त हैं, रियासतें हैं उन्हें मिटा दिया जाय, इस ओर हमारा यह कदम हो सकता है पर आज स्पष्टतौर से नहीं कहा जा सकता कि इस ओर यह कदम है, या हम कह सकें कि इस कदम से फायदा है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान और केरल के हाई कोर्टस् के जजेज के बारे में जो एक डिस्टिंक्शन रखा है जस्टीफाइड नहीं कहा जा सकता बल्कि वह इन्विडियस डिस्टिंक्शन कहा जा सकता है। जब पार्ट ए. और बी. स्टेट्स हैं वे सब एक समान रियासतें बन जायेंगी तो फिर क्या बात है कि इन जजेज की तनख्वाह के बारे में फर्क रखा जाय। हमारे यहां पर भी इसी तरह से हाई कोर्ट के जजेज काम करते हैं। हमारे यहां पर भी उसी स्टेंडर्ड का हाई कोर्ट है, उसी प्रकार के फैसले होते हैं, उसी प्रकार का स्तर है, फिर क्या वजह है कि हमारे यहां हाई कोर्ट के जजों के लिये एक निम्नस्तर तनख्वाह का रखा जावे और बाकी दूसरे हिन्दुस्तान की दूसरी रियासतों के जजों के लिये दूसरा स्तर रखा जावे। यह किसी भी रूप में नहीं माना जा सकता। हमारी समझ में नहीं आता कि यह न मालूम किस लिये किया गया है। इसका नतीजा और असर अच्छा नहीं पड़ने वाला है। यह राजस्थान, मैसोर और केरल के अलावा कहीं पर नहीं है। जब हम इसको देखते हैं तो हमें बहुत दुःख होता है और मुझे आशा है कि मेरा ही मत नहीं लेकिन पूरे सदस्यों का मत यह होगा कि जो व्यवहार राजस्थान के हाईकोर्ट के जजों के बारे में, उनकी तनख्वाहों के बारे में रहा है वह अन्यायपूर्ण रहा है।

इसके अलावा मुझे विशेष रूप से कुछ अर्ज नहीं करना है। जहां तक मोटी मोटी बातें राजस्थान के क्षेत्रों के मिलने सम्बन्धी थीं उनसे सहमत हूं और उनका स्वागत करता हूं।

श्री मानसिंह महार--माननीय अध्यक्ष, कॉन्स्टीट्यूशन सेवन्थ एमेन्डमेन्ट बिल जो हमारे सामने आया है उसके बारे में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

जैसा कि माननीय गृह मन्त्रीजी ने फरमाया कि पहले जो बातें हो चुकी हैं उनको रिपीट नही किया जावे पर मेरी समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में कुछ कम आया कि उन्होंने इस चीज को रिपीटिशन कैसे माना। पहले जिस समय एस. आर. सी. बिल हमारे सामने आया उसमें और आज हमारे सामने जब फाइनेलाइज होकर दूसरी बार आया है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी सूरत में माननीय मंत्रीजी ने जैसा कि फरमाया वह मान कर चलना मैं कुछ हद तक गलत मानता

[श्री मानसिंह महार]

हूं। मैं समझता हूं कि इसको पास करके हम लोग गुजरातियों के साथ एक ऐसा भारी अन्याय कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं यह मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि पहले बाइलिंग्वल बम्बई राज्य होते हुए भी गुजराती इससे सहमत थे, इसकी वजह यह थी कि गुजरात वालों को यह महसूस होता था कि उनके हक और हकूक सुरक्षित हैं। आज जब महाराष्ट्र में कुछ और महाराष्ट्रभाषी एरिया मिला दिया जाता है और गुजरातियों को एक अल्पमत बनाकर राज्य उन पर थोपा जाता है तो इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ सरासर अन्याय है। मेरी गुजरात वालों के साथ उतनी ही सहानुभूति हैं जितनी महाराष्ट्र वालों के साथ है। मैं यह मानता हूं कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की मिलाने से हम लोगों के दिमाग में एक प्रकार का भय पैदा हो जाता है। हम समझते हैं कि अगर महाराष्ट्र को अलग बना कर एक आउटलेट दे दिया गया, एक सी पोर्ट दे दिया गया तो हमारे दिमाग में एक भय होता है कि जैसे महाराष्ट्री कट्टर हैं, इसलिये यह भय है कि वह कहीं अपने आपको इन्डिपेन्डेन्ट नहीं करलें। इसलिये उसको गुजरात शामिल रखते हैं। यह तो हमारे सेन्टर में ताकत होनी चाहिये कि महाराष्ट्रियों को ऐसी कार्यवाही नहीं करने दे। अगर इसको रोकने के लिये गुजरातियों को बलिदान का बकरा बनाया जाता है तो मैं इसको उचित नहीं मानता।

मैं यह मानता हूं कि जिस प्रकार से गुजरात, महाराष्ट्र और बम्बई के मामले में बार बार उथल-पुथल मचाई गई है वह इस बात को साबित करती है कि हम लोगों ने इस मसले को सही तरीके से आज तक नहीं देखा। यह एक बहुत ही सीधा सादा मसला था लेकिन इसको बार बार इधर उधर करके जिस प्रकार से बिना पैंदे के लोटे की तरह से जो कभीइधर लुढ़कता है और कभी किधर लुढ़क जाता है, उसी तरह से इस मामले को कभी इधर और कभी उधर करके हमने वहां की पब्लिक के साथ बड़ा अन्याय किया है। वहां पर जितने आदमी मारे गये हैं, जितने रॉयट (roit) हो गये हैं इस सबके लिये मैं यह मानता हूं कि सारी जिम्मेदारी हमारे अनिर्धारित फैसले पर है जो फैसला कभी क्या करते ह और कभी क्या करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं यह मानता हूं कि अगर न्याय, न्याय के तरीके से दिया जावे तो महाराष्ट्र और गुजरात की दो अलग रियासतें होनी चाहिये। अलग प्रान्त के अलावा म यह मानता हूं कि अगर बम्बई में इस प्रकार की दुविधा देखें तो इसके लिये प्लेबीसाइट करा लेना चाहिये और इस प्रकार मामले को हल करना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं किया। यह वहां की जनता के साथ एक बहुत भारी अन्याय किया गया है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है पंजाब के बारे में। पंजाब में जो रीजनल कौन्सिल बनाने की बात रखी गई है इसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जोनल कमेटी, रीजनल कमेटी आदि के बारे में जो बातें रखी गई हैं वह हिन्दुओं के साथ भारी अन्याय किया है। मैं मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह कमेटी वहां के सिक्खों के उसी प्रकार के हक हकूकों को बढावा दे रही है जिस प्रकार कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया था। उस समय में मुस्लिम लीग को भी तरह तरह के प्रोटेक्शन दिये गये थे। इस वजह से कि माइनोरिटी को प्रोटेक्शन मुस्लिम लीग से होगा मगर आज उससे हमको जो सबक मिलता है वह यह है कि आज हमारे देश के टुकड़े हो गये। हम हमारे देश के टुकड़ों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर फिर भी पाकिस्तान बना। उसी तरह आज फिर तीसरे टुकड़े को बनाने जा रहे हैं। आज हम एक तीसरे

[श्री मानसिंह महार]
सिक्खस्तान बनाने का श्रीगणेश करने लगेंगे अगर इसी प्रकार की रीजनल कमेटी की बात पंजाब में रखते हैं। आज गुरुमुखी और हिन्दी के बारे में अलग अलग विभाजन होंगे। कल पोलिटिकल दूसरी मांग आवेगी उसको मंजूर की जावेगी। फिर तीसरी बात और चौथी बात आवेगी। तो फिर वही बात जो पाकिस्तान में मुस्लिम लोग नें करके दिखाया वही बात पैदा होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जितनी भी जमातें हैं उनको कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिये। इसलिये इस एमेन्डमेन्ट के अन्दर हमको जो पंजाब के बारे में बात रखी है वह बात हमको देखने में ऐसी मालूम होती है कि वह माइनोरिटी को खुश करने के लिये रखी है लेकिन मैं यह मानता हूं कि वह हमारे देश की स्थिति के लिये खतरनाक है।

मैं यह मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में आगे चलकर जो इस प्रकार की छोटी-मोटी रियायतें दी जा रही हैं, माइनोरिटीज के नाम पर उससे बड़ा भारी नुकसान पहुंचने वाला है, इसलिये मेरी यह निश्चित धारणा है कि इस प्रकार के बिल को कभी पारित नहीं किया जाय।

जहां हम पंजाब के बारे में सोचते हैं वहां किस प्रकार का डिप्रेशन हो रहा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज हम पंजाब के मामले को दबाना चाहते हैं यह एक प्रकार से वास्तविकता की ओर से आंखें मूंद लेना है। पंजाब के बारे में जो बातें इस बिल में रखी गई हैं, जो संकल्प इस सेवन्थ अमेन्ड-मेन्ट बिल को रेटिफाइ करने के लिये रखा गया यह एक प्रकार से अन्याय हो रहा है। यह केवल माइनो-रिटीज के नाम पर, उनको प्रोटेक्शन देने के नाम पर बड़ा भारी अन्याय हो रहा है जो नहीं होना चाहिये।

एक छोटी सी बात और है अध्यक्ष महोदय, वह मैं इसी के साथ ही निवेदन कर देना चाहता हूं वह यह है कि भारतवर्ष को छोड़कर अंग्रेज लोग चले गये लेकिन हमारे दिमाग के अन्दर वे एक ऐसी बात छोड़ गये वह बात है माइनोरिटी और मैजोरिटीज जो हमारे दिमाग में वे ठूंस कर गये हैं। आज हिन्दुस्तान का प्रत्येक नागरिक अपने को हिन्दुस्तानी मानने को तैयार नहीं। आज उनके दिमाग में अंग्रेजों के जमाने की वह बू मौजूद है कि यहां तो हिन्दू मैजोरिटी में यहां पर मुसलमान माइनोरिटी में हैं, ईसाई माइनोरिटी में हैं, सिक्ख माइनोरिटी में है इस प्रकार कई प्रकार की यहां माइनोरिटीज बना दी गई है। मेरा ऐसा मानना है अध्यक्ष महोदय, धार्मिक पुस्तक में माइनोरिटी शब्द ही नही होना चाहिये। प्रत्येक हिन्दुस्तानी को यह समझ जाना चाहिये कि हिन्दुस्तान में माइनोरिटी मैजोरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज लोग यह भी कहते हैं कुछ पार्टियां यहां कम्यूनल पार्टियां है। अफसोस की बात है कि आज हिन्दुस्तान में कम्यूनलिज्म किस प्रकार से हो सकता है यह तो कहना और सोचना ही गलत है। जिनको आप लोग काम्यूनल समझते हैं वे कतई कॉम्यूनल नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार की बातें करते हैं जिनके दिमाग में अंग्रेजों के समय से चली आ रही बू विद्यमान है वे ही इस तरीके से सोचते हैं। काम्यूनलिज्म का जो खतरा था वह भारतवर्ष के दो टुकड़े होने के बाद चला गया, अब फिर क्या खतरा बाकी रह गया है आज आप माइनोरिटीज के नाम पर जिनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आप जिस वर्ग विशेष को खुश रखना चाहते हैं यह अपीजमेन्ट की पोलिसी ऐसी है जिससे आप अपने पांवों के नीचे से जड़ काट रहे हैं। काम्युनल वे लोग नहीं जो कि इन बातों का विरोध करते है। जो लोग इन बातों का विरोध करते हैं वे भारत के सच्चे सेवक हैं वे यह चाहते हैं हमारे देश को जो आजादी मिली

[श्री मानसिंह महार]

है उसमें आंच न आय। हम लोग कभी नहीं चाहते कि जो आजादी हमें इतनी मुश्किल से प्राप्त हुई है और इतने वर्षों के बाद प्राप्त हुई है उस पर किसी प्रकार की आंच आय।

आज जिस धार्मिक पुस्तक के नाम पर जिस प्रकार एक जाति विशेष के लोग देश के कोने कोने में प्रदर्शन कर रहे हैं ये इस प्रकार की बातें हैं जिनसे यह साबित होता है कि जहां हम माइनोरिटीज को अधिक अधिकार देने की सोचते हैं वहां इस प्रकार की बात होती है (घंटी) इन बातों को देखते हुए हमें यह देखना है कि क्या हम माइनोरिटीज के नाम पर जो कुछ करने जा रहे हैं वह कहां तक उचित है? (घंटी)

अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैं बातें कह रहा हूं वह इसी से ताल्लुक रखने वाली हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज हम जिस प्रकार पंजाब के अन्दर रीजनल कौन्सिल को (Regional Councils) बनाकर जातिवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं हमें इसका विरोध करना है। मैं यह समझता था कि इस बिल के डिटेल्स में जाकर मैं माननीय सदस्यों को यह कन्विन्स कराना चाहता हूं कि जो कुछ मैं दलील दे रहा हूं वह सही है। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने घंटी बजायी उससे और माननीय मुख्य मंत्रीजी की मुख मुद्रा से मैं यह समझा हूं कि यह जो बातें मैं कह रहा हूं उनको नागवार गुजरी हैं इसलिए मैं धार्मिक पुस्तक की बात छोड़ कर आगे बढ़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर एक बात और रखी गई है जो नई है। वह यह है कि इस अमेन्डमेन्ट बिल द्वारा हम उन हाईकोर्ट्स् के जजेज को जो रिटायर हो जायेंगे फिर से वकालत करने की छूट दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, देखने को तो यह बात बड़ी सुन्दर है। आज के युग में इन जजेज को जितनी सहूलियतें दी जाय उसका कौन विरोध कर सकता है। और खासतौर से यह जो दलील दी गई है कि हाईकोर्ट्स् के जजेज को बाद में प्रेक्टिस करने की सहूलियत नहीं देते हैं तो आगे इस काम के लिये योग्य व्यक्ति नहीं आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, दलील तो बहुत सुन्दर है लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं इस दलील को तराजू में तोलता हूं। मैं यह मानता हूं कि देश के अन्दर न्यायाधीशों का पद बहुत ऊंचा है इस पद को जो व्यक्ति स्वीकार करते हैं वे पैसे जैसी चीज की ओर ध्यान नहीं देते। उनके लिये सबसे बड़ी चीज है वह न्याय है। जो व्यक्ति जनता को न्याय देने का सिद्धान्त अपनाता है वही हाईकोर्ट का जज होना स्वीकार करता है। और जो व्यक्ति पैसे से ज्यादा ममता रखता है वह हाई कोर्ट की जजी से इन्कार कर देता है। क्योंकि वे सोचते है कि हम वकालत से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं ऐसा सोचने वाले जज नहीं हुए। यहां पर जजों की ऐसी मिसालें मौजूद हैं। जिस समय पहले यह कानून पास हुआ था कि जजों के रिटायर होने के बाद फिर से वे वकालत नहीं कर सकते वैसी सूरत में हमने देखा था कि कई जजों ने हाईकोर्ट के जज पद से और सुप्रीम कोर्ट के जज पद से स्तीफा दे दिया था। मैं आज इस बात को मानता हूं अध्यक्ष महोदय, कि राजनीति में वकीलों का बहुमत है इसी कारण इस प्रकार की बात हुई है कि हाई कोर्ट के जजेज को फिर वकालत करने की छूट मिल गई है। यह बिल एक प्रकार से पास हो चुका है लेकिन फिर भी हमें जो कुछ कहना है वह तो कह लें। इस बिल में यह रखा गया कि जो जज के पद से रिटायर होंगे उनको वकालत करने की इजाजत दे दी जाय। जहां तक हाईकोर्ट के जज का ओहदा है मैं उसके अनुकूल

[श्री मानसिंह महार]

इस बात को नहीं मानता । मैं यह मानता हूं, अगर हाई कोर्ट का जज ६० वर्ष के बाद रिटायर होता है और पेन्शन पाता है, उनको पेन्शन के रूप में भी बहुत अच्छी रकम मिलती है ताकि आराम से वे अपनी जिन्दगी बसर कर सकें और मेरा ख्याल है उनको करना भी चाहिये । यह तो एक वाजिब बात भी हुई । इसके अलावा इस प्रकार से फिर से उनको वकालत की छूट दे देने से नये जो नवयुवक वकालत का पेशा करेंगे उनको भी हानि होने की संभावना है । ६० वर्ष के पश्चात् यदि भगवान की दया से २० वर्ष भी यदि और जीवित रहे तो जिस न्याय देने वाले पद पर वे बैठे थे जहां पर वे न्याय को तोलते थे उसी हाई कोर्ट में वे एक कातिल की तरफ से कहें कि वह कातिल नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता । वे उस कुर्सी पर जिस पर बैठकर न्याय करते थे, उस कुर्सी से नीचे आते ही कातिल के लिये यह वकालत करें कि कातिल वह नहीं है, यह ठीक नहीं । इस प्रकार से जजों को फिर से वकालत करने का जो बिल में प्रोवीजन रखा गया है उसको मैं तीन तरह से खराब मानता हूं ।

पहली चीज यह है, कहने को तो यह कहा गया कि हाई कोर्ट के जज पद के लिये इससे योग्य व्यक्ति आयेंगे । मैं यह मानता हूं कि इससे योग्य व्यक्ति आने के बजाय हमारे दिमाग के अन्दर जो जजेज के प्रति श्रद्धा है वह कम हो जायगी क्योंकि रिटायर होने के बाद वे हो उन वकीलों में शरीक होकर प्रैक्टिस वैसी की वैसी शुरू कर देंगे तो इसलिये इसे मैं गलत मानता हूं ।

दूसरी बात यह है कि जो नये वकील आगे बढ़ने की सोचते हैं वे भी घाटे में रहेंगे । उनके लिये यह है कि ये हाई कोर्ट के जज रहे हैं इसलिये सब लोग उन्हें जानते होंगे और ये हाई कोर्ट जज रिटायर होकर अगर वकालत करने लगें तो सब उनके पास जावेंगे । लोग उनके पास क्यों जावेंगे, वे कैसा काम करेंगे कैसा नहीं इसलिये नहीं बल्कि इसलिये जावेंगे कि वे कल तक हाई कोर्ट के जज थे और आज वहीं के वकील बन गये हैं तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा । मान लीजिये कि एक कोर्ट में दो जज थे उनमें से एक रिटायर हो गये और वे रिटायर होकर अपने पुराने जज साथी के कोर्ट में मुकदमा ले जावेंगे तो पक्षपात वे करेंगे यह मैं नहीं कहता हूं, पर लिहाज की बात वहां हो सकती है अपने पुराने साथी का लिहाज काम में आ सकता है । अगर आज भी देख लीजिये हमारे ये मंत्रीगण हैं । इनमें आपस में आपस का कोई काम आ जाये तो वह काम करना ही पड़ता है, उन्हें थोड़ा झुकना ही पड़ता है । तो इसी तरह से हाई कोर्ट के जजों को भी अपने रिटायर शुदा पुराने साथी के साथ कभी कभी लिहाज भी करना पड़ सकता है । तो इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो यह हाई कोर्ट जजों का प्रोविजन रखा गया है फिर से प्रैक्टिस करने का यह बिल्कुल गलत है । इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये ।

एक बात अध्यक्ष महोदय, और निवेदन करनी है । वह यह थी कि हमारी सरकार ने हमारी सरकार से, मेरा मतलब यूनियन गवर्नमेन्ट से है, राजस्थान सरकार से नहीं है, प्रान्तों को बड़ा बनाकर और यह बात कही कि हम पैरोकैरल टैन्डेन्सी को रोकना चाहते हैं । अगर सरकार की यह नीयत है तो सरकार के सामने एक बड़ा माकूल सुझाव था कि वह देश को पांच हिस्सों में बांट दे । ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, नोर्दर्न, और सेन्ट्रल इण्डिया । पांच टुकड़े करके और फिर यूनिटरी फोर्म आफ

[श्री मानसिंह महार]

गवर्नमेन्ट कर दे सेन्टर में और इन पांचों में मामूली इन्तजाम कर दिया जावे, यह बहुत अच्छी चीज है। फिर बम्बई गुजरात के झगड़े नहीं होते, बम्बई महाराष्ट्र के झगड़े निपट जाते, पंजाब की रीजनल कौंसिल के झगड़े नहीं पैदा होते, बंगाल बिहार और आसाम में उपद्रव खड़े नहीं होते, और इधर मैसोर और दूसरी दूसरी जगह के जो हैडेक हैं वे मिट जाते और सबसे बड़ा आज के युग में जो हैंकरिंग आफ्टर पावर का जो हैडेक हमारी यूनियन गवर्नमेन्ट के सामने है, हमारी कांग्रेस सरकार के सामने है, प्रत्येक प्रान्त में मिनिस्टर कहीं दस हैं, कहीं बारह हैं, कहीं पन्द्रह हैं, पर मिनिस्टरी के उम्मीदवार तीस २ और चालीस २ बैठे हैं, उनका जो हैडेक बना है वह सदा के लिये खत्म हो जाता, वह दिक्कत रहती ही नहीं। कोई कहता है अक्टूबर में राजस्थान में लीडर का चुनाव होकर नये मिनिस्टर महोदय.. (घंटी)।

अध्यक्ष महोदय, यह बात आती ही नहीं है, मैं यह बता रहा हूं कि जहां लोगों के दिमागों में आपस में कटुता फैलाने वाली बात है, वह बात तब नहीं रहती और तब हम भाई भाई होकर रह सकते थे। यह रीजनल फार्मूला हो जाता और पांच हिस्सों में भारत को बांट दिया जाता तो यह दिक्कत ही नहीं रहती। फिर तो बस सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट हर एक हिस्से में अपने दस बीस आदमी भेज देती और इस तरह से आज जो करोड़ों रुपया बरबाद होता है वह नहीं होता।

अब तो अध्यक्ष महोदय, आप फर्माते हैं, घंटी बजाते हैं, पर वस्तुस्थिति तो हमें बतानी पड़ती है आज राजस्थान में कुछ लोगों को खुश करने के लिये डिप्टी मिनिस्टर बना दिया गया है उनका काम एक भी सरकारी कागज पर दस्तखत करना नहीं है, वे तो महीने में २८ दिन दौरों पर रहते हैं। उनको काम के सिलसिले में दफ्तर में तलाश करते हैं तो मिलते नहीं, जवाब मिलता है कि दौरों में हैं। (घंटी)

(हंसी)

श्री भैरू सिंह—वे तो उद्घाटन मन्त्री हैं।

श्री अध्यक्ष—आर्डर आर्डर।

श्री मानसिंह महार—(जारी) मैं दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, फिर बताऊं। एक निवेदन करना था, वह मुझे कुछ बात खटकी भी राजस्थान के लिये खास तौर पर। अपर चैम्बर सरकार ने रोक दिया यहां और दूसरे तीन चार प्रोविन्सों में और बाकी के सूबों में इसका प्रोविजन किया, राजस्थान को महरूम किया। यह दुःख की बात है। राजस्थान के लिये तो बहुत जरूरत थी इसकी। यहां तो हैव नोटस् की संख्या बहुत अधिक है और २ भी बढ़ने वाली हैं तो इसको वहां से सहायता मिलती और यहां चुनाव में अधिक व्यक्ति हारे तो इसलिये और यह तो एक लोकल आर्गुमेन्ट है कि उनको जगह मिल सकती थी। दुःख तो यह है कि आज के युग के अन्दर जब कि सारे हिंदुस्तान को बराबर के प्रान्तों में बांट दिया गया है तो फिर तीन चार प्रान्तों ने ही क्या गुनाह किया है कि उनमें अपर चैम्बर न रक्खा जावे। आज हम यह साबित नहीं कर सकते कि दस बारह प्रान्तों में क्या विशेष परिस्थितियां हैं कि वहां पर अपर चैम्बर रक्खा जावे। मैं यह मानने को तैयार नहीं। मैं समझता हूं कि अगर तीन चार में नहीं है तो उस सूरत में हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में अपर चैम्बर की जरूरत नहीं है और ऐसी सूरत में इस प्रकार की, एक तरह की, मैं तो यह कहूंगा कि प्रान्तों में आपस में भेदभाव रखना कितना अनुचित है। अगर

[श्री मानसिंह महार]

हिन्दुस्तान के चार प्रांतों में जिनमें राजस्थान जैसे पिछड़े प्रान्त भी हैं, वहां के पोलिटिशियन मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के और प्रान्तों बम्बई पंजाब आदि के मुकाबले में पोलिटिक्स में काफी दिनों बाद में आये तो इस प्रान्त में अगर अपर चेम्बर होता तो यहां के एडमिनिस्ट्रेशन को टोन डाउन करने को और एल्डरली एडवाइज करने को इसकी खास जरूरत थी। इस पोलिटिकलो पिछड़े प्रान्त में भी जब इसकी जरूरत नहीं समझी गई तो मैं तो यह मानने को तैयार नहीं कि बम्बई पंजाब आदि ऐसे बड़े २ और पुराने २ प्रान्तों में इस अपर चेम्बर की जरूरत हो सकती है। इसलिये मैं इसके लिये अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह सुझाव देना चाहता हूं कि भारतवर्ष के किसी भी प्रान्त में अपर चैम्बर नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हमने पार्ट बी स्टेट को तो उड़ा दिया ओर पार्ट बी स्टेट को उड़ाकर बराबर कर दिया, पर पार्ट सी स्टेटों में से कुछ स्टेटों को यूनियन टैरीटरीज का नाम दे दिया।

मैं मानता हूं अध्यक्ष महोदय, कि यह उस इलाके की जनता के साथ घोर अन्याय हुआ। यह कभी मान्य नहीं हो सकता कि हमारे ही देश के एक अंग को तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी राय देने का हक हो और दूसरा अंग इससे वंचित रक्खा जाय। एक को तो अपने प्रतिनिधि चुनकर लेजिस्लेचर में भेजने का अधिकार दिया गया हो ओर दूसरे अंग को इससे वंचित रक्खा गया हो। तो हिमाचल प्रदेश को एक कलम से पंजाब में मर्ज कर दिया जावे, उनको भी इलेक्टेड प्रतिनिधि भेजने का हक दिया जाना चाहिये, उनका प्रतिनिधि पंजाब की केबिनेट में भी बैठे, पंजाब की लेजिस्लेटिव असेम्बली में भी अपना नुमाइन्दा भेजे। इसके विपरीत यह कर दिया जाता है यह यूनियन टैरीटरी है इसलिये इसे किसी प्रकार का यह अधिकार नहीं हो सकता तो यह कतई न्यायोचित बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश ही नहीं, हमारे यहां तो हमारी राजधानी दिल्ली को भी इस मामले में इस मामूली से हक से महरूम कर दिया गया है। हमारी राजधानी को भी अगर इस प्रकार का हक नहीं दिया जा सकता है तो मैं इसको एक शर्म की बात मानता हूं। यूनियन टैरीटरीज का जो भी प्रोवीजन है जिस प्रकार की भी बात इसमें रखी गई है इसका मैं विरोध करता हूं।

मैं समझता हूं कि जो यूनियन टैरीटरीज है उनको हर हालत में किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहिये, थ्रू लेजिस्लेचर ताकि वे अपने हक हकूक के बारेमें कुछ कह सकें, कुछ सुना सकें, कुछ सुन सकें। तो यह हुआ यूनियन टैरीटरीज के बारे में। अब किस प्रकार से सिरोही की तरफ से आने वाले मेरे मित्र ने आबू को हमारे साथ मिलाने के लिये कहा कि यह बहुत अच्छी बात हुई, इसके लिये मैं जो एक बात निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आबू तो हमारा अविभाज्य अंग था। हमारे साथ ज्यादती होकर उसे छीन लिया गया था तो आबू या अजमेर हमारे अन्दर आ जाने से हमको खुश नहीं हो जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, हमारा हक तो बहुत ज्यादा था आबू और अजमेर तक सीमित नहीं था। हमारा हक मध्यभारत के आधे हिस्से पर दौड़ता था लेकिन उस पोरशन पर हमारा हक इसके अन्दर बिल्कुल इगनोर किया गया। मध्य भारत का कुछ हिस्सा जो कि मध्य प्रदेश को कभी नहीं मिलना चाहिये था और हमको, राजस्थान को, मिलना चाहिय था। उस हिस्से के साथ में और हमारे राजस्थान के साथ में भी अन्याय हुआ है। मन्दसोर और कोटा के आस पास के, कोटा की सरहद के पास के सब जिलों को

[श्री मानसिंह महार]

हमारे राजस्थान में मिलाना चाहिये था। यह दलील देना कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रान्त है तो मध्यप्रदेश उससे कोई कम बड़ा नहीं है और आज के युग में बड़ा कहना कोई बड़ी बात नहीं है। यह मैं मानता हूं कि यह हमारी गलती थी कि हमारा यह मामला सही तरीके से पेश नहीं किया गया। मैं यह मानकर चलता हूं..

श्री अध्यक्ष—बड़ा बना रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—····कि अगर हमारा मामला (माननीय मुख्य मंत्री की भावभंगिमा को लक्ष्य करके) माननीय मुख्य मंत्रीजी को शायद यह नागवार गुजर रहा है लेकिन वास्तविकता जो है उसको निवेदन करना ही पड़ता है....

श्री अध्यक्ष—आज आपके भाषण में रोचकता नहीं है।

श्री मानसिंह महार—यह मामला कुछ ऐसा ही है।

श्री अध्यक्ष—इसीलिये जल्दी समाप्त कर दीजिये इसको।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मध्य भारत का वह हिस्सा जो है वह हर प्रकार से हमारे राजस्थान से मिलता जुलता है। वहां की भाषा, रहन-सहन, वहां की जमीन, वहां के सिंचाई के साधन वगैरह हमारे मुआफिक थे। और यह सब हुआ। मुझे दुःख जरूर हुआ अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान का एक हिस्सा सिरोज मध्यभारत में चला गया। इसका मुझे अफसोस सिरोंज के जाने का इतना नहीं कि जितना कि ट्रेजरी बेन्चेज के एक सदस्य के मध्यभारत (मध्य प्रदेश) में चले जाने का है। उनसे बिछुड़ते हुए मुझे बहुत अधिक दुःख होता है (हंसी)। मैं आशा करूंगा कि दूसरे चुनाव के बाद वे राजस्थान में आ जायेंगे लेकिन एक बार तो मध्य भारत में जाकर सिरोंज की जनता को रिप्रेजेण्ट करेंगे और वहां के दुःख दर्द को बतायेंगे और हाई कोर्ट का फैसला.... (घंटी) हुआ उससे बड़ा दुःख हुआ था।

आप यह फरमा रहे थे कि मैं अधिक नहीं बोलूं इसलिये केवल यही निवेदन करूंगा कि बम्बई और महाराष्ट्र का जो मरजर किया गया है वह अन्यायपूर्ण है और पंजाब के अन्दर जो कुछ किया जा रहा है वह बहुत ही कॉम्युनल है और आज के युग में हमको कॉम्युनल बातों को बरदाश्त नहीं करना चाहिये। इसके अलावा और प्रान्तों के साथ भी आज किस प्रकार का पक्षपात किया गया है वह कतई काबिले बर्दाश्त नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सदन को इसको रेटिफाई करने से पहले एक बार वापिस पार्लियामेण्ट को भेज कर इन बातों की ओर वहां पर ध्यान आकर्षित करें।

श्री अध्यक्ष—(श्री गृह मंत्री से) जवाब देंगे।

श्री हिम्मतसिंह—मुझे भी कुछ इजाजत देंगे।

श्री अध्यक्ष—These are all consequential.

श्री हिम्मतसिंह—कान्सीक्वेंश्यल तो हैं लेकिन कोई ऐसी बात न हो कि छूट जाय ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, आप (श्री हिम्मतसिंह) बाद में बोलें, मुझे कुछ एतराज नहीं है लेकिन मैं ५ मिनिट बोल कर जाना चाहता हूं । बाद में माननीय गृह मंत्रीजी इस पर बोलेंगे ।

मैं समझता हूं कि जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत है वह एक ऐसी घटना है भारतवर्ष की कि जिसके ऊपर इस सदन को और देश को भी गौरव हो सकता है । हिन्दुस्तान का नक्शा आज पं० जवाहरलाल नेहरु, पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त और आज की भारत सरकार ने मिलकर बदला जो शायद और किसी मुल्क के सामने इस तरह का सवाल होता तो आसानी से नहीं बनता । हमारे सामने भी दिक्कतें आईं लेकिन दिक्कतें होते हुए भी जितनी बातों को शान्ति के साथ कर सकते थे उनको हमने शान्ति के साथ किया और इसमें शायद हमें यह अनुभव हुआ कि देश की यह बहुत बड़ी घटना हुई है, और आगे जाकर मैं समझता हूं कि जो लोग अलग अलग राज्यों को चलायेंगे, और जो इतिहास के पढ़ने वाले होंगे वे इस तरह का अनुभव करेंगे कि बहुत बड़ी मुश्किलों से इस देश के शासन के लिये जो संशोधित बिल हमारे समक्ष प्रस्तुत है वह महान घटना है । मैं समझता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और देश की एकता और देश की दृढता के लिहाज से करना उचित ही है ।

मुझे दुःख हुआ, अध्यक्ष महोदय, जब कि मैं एक माननीय सदस्य से इस सदन के अन्दर जम्मू और काश्मीर के बारे में यह सुन रहा था कि जैसे कि भारत सरकार की नीति इस बारे में स्पष्ट नहीं हो । मैं समझता हूं कि न केवल भारत सरकार की नीति ही स्पष्ट है बल्कि आज जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आई एम सोरी, जो काश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने समय समय पर वक्तव्य दिये हैं, उनसे स्थिति बड़ी स्पष्ट है और ऐसे बड़े मसलों पर जिनका कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है मैं समझता हूं कि एक बार अच्छा यह होता कि जिनके ऊपर समस्या को हल करने का भार है, जिनके बारे में आज के दिन हमें यह विश्वास है कि वह ठीक ढंग से समस्या को देख रहे हैं उनके सामने कोई ऐसी बात इस सदन में कहें जिससे कि कोई उलझन पैदा हो वह नहीं करें । कई बार कोई प्रश्न दबाव में आकर ही उन पर छोड़ दिया जाता है तो ज्यादा आसानी से और अच्छे ढंग से हल होता है ।

यहां यह जिक्र किया गया है कि इस विधान में संशोधन के लिये एक अधिकार में यह किया गया है कि जो माइनोरिटी लेंग्वेज वाले हैं उनको भी शिक्षा देने के लिये, उन्हें अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, यह उचित नहीं है । मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जो अधिकार इस संबंध में रखा गया है वह उचित है । इस मायने में उचित है कि इस अधिकार में यह रखा गया है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिये, प्राथमिक शिक्षा के लिये, उनको अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा । उसका यह मतलब नहीं है कि कहीं २ या ३ लड़के ही हों और वह यह कहें कि हमारे लिये उसकी व्यवस्था करें लेकिन एक उचित संख्या हो एक जगह की जो उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हों तो प्राइमरी स्टेज के ऊपर उसकी व्यवस्था होनी चाहिये । अगर उर्दू पढना चाहते हैं और बच्चों की तादाद काफी हो तो पढने वालों की तो मैं समझता हूं कि उसकी व्यवस्था की जाय । यह ठीक होगा । उसी प्रकार मान लीजिये कि जो सिन्धी आये हुए हैं हमारे पुरुषार्थी भाई वह यह चाहें कि प्राइमरी स्टेज में उस भाषा में उनके बच्चों को पढाया जाय तो उनको शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

होगी । तो उसमें शिक्षा देने के अन्दर ऐतराज नहीं होना चाहिये, और उसी दृष्टि से इस धारा को उसमें रखा गया है। मैं समझता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से प्राइमरी स्टेज पर एक व्यक्ति जितनी आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके उसकी व्यवस्था करना चाहिये, और उस व्यवस्था के लिये जो कुछ इसमें रखा गया है उसमें ऐतराज की बात नहीं होना चाहिये ।

यहां पर यह कहा गया है कि अच्छा होता कि देश में युनिटरी सिस्टम होता शासन का और उसके लिये उदाहरण दिया गया पाकिस्तान के युनिटरी सिस्टम का कि जिस तरह से वहां हो रहा है हमारे यहां भी होना चाहिये.......

श्री भैरू सिंह—पाकिस्तान जिस सिस्टम की ओर अग्रसर है उस तरह का ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां, मैं वही कह रहा हूं कि "अग्रसर हो रहा है" तो जिन विचारधाराओं को लेकर पाकिस्तान में उस ओर आगे बढ़ने जा रहा है मेरे माननीय मित्र भी उन विचारधाराओं के आधार पर उस ओर बढना पसन्द नहीं करेंगे ।

श्री भैरू सिंह—कई चीजों में डिफरेन्स आफ ओपीनियन होगा, लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है उसके बारे में जिक्र किया है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं निवेदन कर रहा हूं उसी संबंध में । युनिटरी सिस्टम हो या अलग अलग स्टेट में डेमोक्रेटिक सिस्टम फन्क्शन करके फैडरल सिस्टम हो तो उसके अन्दर कई जगह डेमोक्रेसी में यह सिस्टम फन्क्शन कर रहा है। जितना बड़ा यह देश है और जो परिस्थितियां इस देश की हैं उनको देखते हुए मैं समझता हूं, पार्लियामेन्ट ने जो तय किया है वह एक उचित निर्णय है। फिर भी अच्छा हो कि कुछ अर्से के बाद आम चुनाव आने वाले हैं उसके अन्दर हमारे माननीय मित्र देश में एक ही शासन व्यवस्था हो ओर एक जगह हो उसका प्रचार करें, लोगों के पास जायं और उन्हें कहें कि हम इसके पक्ष में हैं कि केवल एक जगह से ही सारे देश का राज्य चलाना चाहिये और अलग २ नहीं चलाना चाहिये तो मैं समझता हूं कि जनता को अपनी राय देनें का मौका मिलेगा। तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है ।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, जोनल कौंसिल के बारे में कहा गया । उस पर काफी चर्चा हो चुकी है और उसकी दुबारा चर्चा में मैं नहीं पड़ना चाहता । यह कहा गया कि पंजाब में जो रीजनल कौंसिल की व्यवस्था रखी है वह कॉम्युनेलिज्म के आगे सरेन्डर करने की बात है । मैं आपसे निवेदन करूं कि किसी कॉम्युनेलिज्म के आगे सरेन्डर करने का प्रश्न नहीं आता है । लेकिन वहां की परिस्थितियों के देखते हुए कुछ चीजों के सम्बन्ध में, जिनकी डिटेल्स इसमें नहीं है, रीजनल कौंसिल को सलाह देने के लिये बनाई गई है—विचार किया गया है । पंजाब स्टेट बनेगी, उसकी युनिट पर होगा मैं यह नहीं समझा। आज भय हो सकता है जो कुछ वातावरण बन रहा है उससे लेकिन शायद कुछ अर्से के बाद वातावरण बदला तो भाषा का प्रश्न भी न रहे जो आज हमें नजर आता है। तो जिस चीज को पार्लियामेन्ट ने काफी सोचने के बाद, बोम्बे और महाराष्ट्र का प्रश्न आया जिसके लिये एक मित्र ने हमदर्दी जाहिर की दोनों के साथ, महाराष्ट्र के साथ भी और गुजरात के साथ भी और यह कहा कि यह फैसला

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

ठीक नहीं हुआ । मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, हम सब बात को जानते हैं कि यह एक ऐसा फैसला है, जिसे यूनिक कहा जाय, ऐसा पार्लियामेन्ट ने किया । जिसे सर्वोच्च सत्ता कहना चाहिये, उसने नेशनल तरीके से, राष्ट्रीय आधार पर इसके बारे में यह फैसला किया । उस फैसले को मान्य किया गुजरात के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने, अहमदाबाद में जरूर झगड़े हुए लेकिन उस झगड़े की वजह से यह कहें कि गुजरात को यह स्वीकार नहीं जब कि गुजरात के प्रतिनिधि, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि, बम्बई के प्रतिनिधि उसको स्वीकार करते हैं, देश की सर्वोच्च सत्ता पार्लियामेन्ट उसको स्वीकार करती है और फिर राजस्थान में बैठकर हम यह कहें कि उनके प्रति अन्याय हुआ है तो यह तो दूर बैठकर उनके प्रति जबरदस्ती वकालत करने जैसी बात होगी । आज गुजरात और महाराष्ट्र यह अनुभव नहीं करते हैं कि हमारे माननीय मित्र यह कहें कि उनके प्रति अन्याय हुआ है । यह तो देश के लिये बड़ा अच्छा हुआ । जब रिआर्गेनाइजेशन बिल हमारे पास आया तो बहुत से मुद्दों पर हमने बहस की और उसके बाद फिर यह बिल आया है, उन्हीं बातों को दोहराया है जिनके ऊपर काफी सोच विचार हुआ है और पार्लियामेन्ट में भी काफी विचार हुआ है । ऐसे बिल के लिये जहां तक इस सदन का प्रश्न है कई बार फोर्मेलेटी की बातें स्वीकार करते हैं तो उसी तरह से इसको जल्दी से जल्दी एक मत से स्वीकार कर लें यही अच्छा है । राजस्थान का सौभाग्य आज उस स्थिति में है कि उसको शिकायत नहीं हो सकती है कि जो कुछ व्यवस्था की गई है वह गलत की गई है । हाई कोर्ट के जजेज के बारे में जो व्यवस्था की गई है, जैसा कि सिरोही से आने वाले माननीय मित्र का ख्याल है वह बात नहीं है, बराबर का स्तर रखा गया है ।

एक अपर हाउस वाली बात एक माननीय मित्र ने दोनों तरफ से कहदी । उन्होंने कहा कि यहां क्यों न हो और फिर कहा कि कहीं न हो । मैं इस सदन के सदस्यों की राय जानता हूं कि यहां दो हाउस हों इस राय के हम नहीं हैं । जब हम इस राय के नहीं हैं तो फिर उस हालत में हमारे यहां जो व्यवस्था की गई है उसको स्वीकार कर लेना चाहिये । जो जहां के प्रतिनिधि हैं वे वहां अगर दो हाउस रखना चाहते हैं तो चूंकि हमारे यहां दो हाउस नहीं हैं इसलिये वहां भी न हो यह दलील देना उचित नहीं होगा । जहां यह व्यवस्था लोगों ने चाहा कि न हो तो वहां नहीं है और जो चाहते हैं कि वहां हो तो वहां वे चालू रखे गये हैं ।

यूनियन टेरीटरीज के लिए जिक्र किया गया जब कि (अ), (ब), (स) श्रेणी का प्रश्न हटा दिया गया है । हिमाचल प्रदेश और दिल्ली इन दो जगहों पर डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेन्ट चलती है । लेकिन वहां के लोग आगे आये और यह जो परिवर्तन किया गया है वह देश के हित में और हिमाचल प्रदेश ने तो खुद ने यह चाहा कि हिमाचल प्रदेश को अलग रखा जाय जहां तक मेरी जानकारी है । उस कारण से यदि अलग रखा गया है तो यह हम क्यों कहें कि मिला देना चाहिए । इसी प्रकार से अन्डमान, नीकोबार, त्रिपुरा और मणीपुर कुछ जगह हैं वहां पर भी पहले से ही यूनियन गवर्नमेन्ट की देखरेख है और जो व्यवस्था चालू थी वैसी है । केवल दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में अन्तर पड़ा है । दिल्ली में राजधानी की वजह से और क्या आवश्यक व्यवस्था दिल्ली के लिए हो सकती है उस पर विचार विनिमय करके किया जा रहा है । तो इन सब पहलुओं पर विचार करके

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

यह बिल प्रस्तुत किया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को अच्छी स्प्रिट से, अच्छी भाषा से, और एक मत से जैसा रिओर्गेनाइजेशन बिल को पास किया, स्वीकार करना चाहिये । यही मुझे कहना है ।

श्री अध्यक्ष—जवाब दीजिये ।

राज श्री हिम्मतसिंह—मैं बोलूं क्या ?

श्री अध्यक्ष—Chief Minister's reply includes everything.

राज श्री हिम्मतसिंह—क्या इसी को जवाब मान लिया जाय

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मुझे एतराज नहीं है.... यह मान लीजिये....

(हंसी)

श्री भैरूं सिंह—"मान लीजिये" यह भाषा संकेत कर रही है कि यह रिप्लाई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—अब दूसरा कर लीजिये । दूसरा पढ़ दीजिये ।

राज श्री हिम्मतसिंह—इस रिजोल्यूशन को तो पास किया ही नहीं, दूसरा कैसे शुरू हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष—यह तो पास हो जाता है ।

राज श्री हिम्मतसिंह—अभी तो पास नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष—अब वोट पर रख दूं ?

राज श्री हिम्मतसिंह—इस पर मुझे बोलने की इजाजत देंगे ?

श्री अध्यक्ष—रिपीटिशन नहीं होना चाहिये ।

राज श्री हिम्मतसिंह—रीपीटिशन का सवाल ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—तीनों बराबर बोले हैं, रिपीटिशन हुआ है ।

राज श्री हिम्मतसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस पर बोलने की गुन्जाइश तो नहीं है लेकिन कुछ बातें हैं वे तो प्रकट करनी ही पड़ेंगी और मैं समझता हूं कि ट्रेजरी बेन्चेज उन पर जरूर ध्यान देंगी। बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं यहां रिपीट नहीं करना चाहता । वैसे देखा जाय तो यह पार्लियामेन्ट द्वारा पास हो चुका है । यहां तो हाथ ऊंचा करने के लिये आया है । हाथ ऊंचा करना है । अगर एक दो आदमी कह देंगे कि पास नहीं होना चाहिए तो कोई फायदा नहीं होगा ।

यह रिज्योल्यूशन पास तो करना ही है इसके बाबत किसी को मतभेद नहीं है लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि चौबेजी छब्बे होने गये थे लकिन दुब्बे रह गये । हम यह चाहते थे कि मध्य भारत का मंदसौर डिस्ट्रिक्ट हमारे शामिल आ जावे लेकिन उसके बजाय हम अपना हिस्सा भी उनको दे चुके हैं।

[राज श्री हिम्मतसिंह]

गांधीसागर डैम राजस्थान की टैरीटरी में बन रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोग चुप क्यों बैठे हैं ? संकशन हो चुकी है और हमें यह भी पता नहीं लगा कि कहां कौनसा हिस्सा हमारा निकल चुका है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री)—ये आप कहां की बातें कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—कोटा के रहने वाले हैं इसलिये वहीं की बात कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—बांध बन रहा है और कह कौनसा हिस्सा डूब रहा है, यह मुझे मालूम हैं।

राज श्री हिम्मतसिंह–(जारी) यह मालूम कराने के लिये ही कुछ कहने की जरूरत पड़ी है। आप अभी भी जांच कर लें कि कितनी टैरीटरी चली गई है मध्य भारत में। यदि चली गई है तो इस बिल में उसका जिक्र नहीं आया है। जो राजस्थान का हिस्सा मध्य भारत को दिया जायगा उसके लिये क्या नया रिजोल्यूशन आयगा ? यही बात मैं प्रकट करना चाहता था जो मैंने प्रकट करली है। मुझे आशा है कि आप आगे लिखा पढी चलायेंगे ताकि हमारा हिस्सा वैसे ही नहीं चला जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री रामकिशोर व्यास ने रखा है कि कांस्टीट्यूशन सेवन्थ अमेन्डमेन्ट बिल एज़ पास्ड बाई बोथ दि हाउसेज़ ओफ दि पार्लियामेन्ट पारित किया जावे।

(विराम)

One thing which I want to say to the hon'ble members of the House is that while every effort should be made to keep the Opposition alive, the Opposition should realize its responsibility too. Out of all the States in the reorganized set up Rajasthan is most fortunate to be intact-rather it has got more and, therefore, such a Resolution regarding the Reorganization Bill ought to have been passed by the unanimous vote of the House. Any way, I till presume that the Opposition knows its responsibility better.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—भारत का संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक, १९५६ सम्बन्धी शासकीय संकल्प I have already moved and, therefore, it should be taken as moved.

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान में टैन्थ अमेन्डमेन्ट बिल, १९५६ के द्वारा जो संशोधन किया जा रहा है उस संबंध में माननीय गृह मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर यदि गंभीरता से विचार किया जाय तो जिस तरह से स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन के संबंध में जो कान्स्टीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट आया उसके बारे में यह मानकर चलें कि उससे राजस्थान की जनता को कोई नुकसान नहीं होगा उसके बिल्कुल विपरीत यह दूसरा संशोधन आ रहा है। उसके द्वारा राजस्थान की जनता पर सीधा असर पड़ने वाला है।

[श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)]

अध्यक्ष महोदय, यह जो दूसरा विधेयक है उसकी मंशा यह है कि भारतवर्ष के अनेक प्रान्तों को सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार है वह अधिकार उन रियासतों से लिया जाकर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में वेस्ट (vest) होना चाहिये। जो महानुभाव इस संशोधन के पक्ष में अपनी दलील प्रस्तुत करते हैं उनकी सारी दलील का आधार केवल एक है कि भारतवर्ष में टेक्स लगाने की प्रणाली में यूनिफोर्मिटि होनी चाहिये और वह किस मात्रा में लगाया जाय इसमें यूनिफोर्मिटि एडाप्ट करें तो बहुत अच्छा होगा और इसको लेकर पंचवर्षीय योजना के लिये धन की आवश्यकता महसूस की जा रही है उस धन के अभाव की पूर्ति की आड लगाकर इस प्रकार का संशोधन संविधान में प्रस्तुत करके लोक सभा ने पास किया है और राजस्थान की विधान सभा की मोहर लोक सभा द्वारा पास किये गये संशोधन पर लगाने की चेष्टा की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा जटिल है। यदि हम लोक सभा को अधिकार देते हैं कि राजस्थान की जनता की आर्थिक स्थिति क्या है इसको बिना जाने ही उस पर कर लगादें, यह बिना जाने ही कर लगादें कि यहां की जनता की इन्कम क्या है, उनका खर्चा कितना है, उनकी पैदावार का जरिया क्या है, इन सारी बातों का कंसीडरेशन किये बिना ही लोक सभा को सेल्स टेक्स लगाने का अधिकार दिया जाय तो राजस्थान की गरीब जनता जिसके बारे में राजस्थान का कोई व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसकी आर्थिक स्थिति विशेष सुधरी हुई है, उस पर बड़ा भारी असर पड़ेगा। राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में मध्यम वर्ग के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, यदि इस प्रकार की बात कही जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और बाकी लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई हो और उनकी हालत टैक्स लगाने लायक हो और उनके लिये अच्छी कार्यवाही हुई हो, मैं इसको मानने के लिये भी तैयार नहीं हूं।

(श्री लालसिंह शक्तावत उपाध्यक्ष पदासीन)

राजस्थान को कितने धन की आवश्यकता है, और इस बात को महसूस करके कि राजस्थान की जनता कितना टैक्स दे सकती है इस बात का विचार राजस्थान विधान सभा पूरी तरह से कर सकती है। आज बहुमत के आधार पर राजस्थान की सरकार डेमोक्रेटिक सरकार बनी है। इलेक्शन के बाद के समय से लेकर अब तक के समय को देखा जाय तो दो चार कानूनों में ऐसा हुआ है जिनमें जोर नहीं पड़ा हो बाकी जितने भी कानून हैं उनमें इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि जनता की आमदनी क्या है, खर्चा क्या है, उनका जरिया मास क्या है और केवल एक बात पर जोर दिया गया कि टैक्शेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट यह है कि टेक्स देना चाहिये। पंचवर्षीय योजना की आड लेकर या डेवलपमेंट योजना की आड लेकर जनता की आर्थिक स्थिति को ज्यादा खराब करने की कोशिश की गई है। पंचायत कानून में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कानून में, रजिस्ट्रेशन कानून में और दूसरे जो कानून बने हैं उनमें टक्स लगाने की कोशिश की गई है सैल्स टैक्स कानून में और दूसरे जितने कानून बनाये उनमें टैक्स बढाने की चेष्टा की गई है लेकिन कम से कम हमें यह संतोष तो होना चाहिये कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते गरीब जनता की दयनीय दशा का चित्र खींच कर राजस्थान के मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया गया है कि जनता में टैक्स देने का किस प्रकार का सामर्थ्य है। यदि इस दायरे के बाहर काम किया तो उनका आर्थिक संतुलन खराब हो जायगा। इस बात की पूरी जानकारी सदन को दी है। बिना जानकारी के कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब जो संशोधन आया है उसका मतलब यह होगा कि सेल्स टैक्स के बारे में राजस्थान

[श्री भैरुंसिंह दांता रामगढ]

विधान सभा में कोई चर्चा नहीं होगी और उसके बजाय लोक सभा में होगी। लोक सभा में हमारे जो सदस्य हैं उनके चरित्र पर मैं शक नहीं करता लेकिन राजस्थान के लोगों की वास्तविक आर्थिक दृष्टिकोण का चित्रण प्रस्तुत करने में कमी जरूर होगी। विधान सभा में जो चित्रण पेश किया जा सकता है वह जिस रेस्पोन्सिबिलिटी के साथ भिन्न भिन्न स्थानों से आये हुए प्रतिनिधि पेश कर सकते हैं उतना दूसरे नहीं कर सकते। आज विधान सभा में टैक्सेज का संबंध है उसके नाते राजस्थान में किस हद तक टैक्स लगाये जा सकते हैं उसके बारे में जो राय विधान सभा में दी जाती है वह ठीक तरह की राय है।

लेकिन अब यह होगा कि इस कानून के द्वारा एक यूनिफोर्म सिस्टम लाना चाहते हैं जिसके जरिये लोक सभा को अधिकार होगा कि जो भी नियम बनायें वह सारे भारतवर्ष में लागू होगा। मैं तो यह कहूंगा कि सेल्स टेक्स ऐसा नहीं कि जिसको भारत में लागू करना है, आज हम यह मान कर चलते हैं कि जनता की आर्थिक स्थिति खराब है इसलिये गरीब जनता से पैसा लेकर उसी जनता के लिये पैसा खर्च करें यह सेल्स टेक्स का मतलब नहीं। सेल्स टेक्स का मतलब यह है कि जो आदमी उत्पादन करते हैं उन पर टेक्स हो और उसके जरिये जो लोग इन्टरमीजियरी तरीके से पैसा कमायें उन पर सेल्स टेक्स लगाया जाय लेकिन देखा जाय तो आज सेल्स टेक्स का असर ७० प्रतिशत लोगों पर होता है जो लोग बाजार में दुकानों से कपडा खरीदते हैं उन पर सेल्स टेक्स का असर होगा। आज सेल्स टेक्स का नाम लेते हैं और दुनियां को दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत के जितने पूंजीपति हैं उनकी आमदनी पर अंकुश डालने की चेष्टा कर रहे हैं और इसके लिये सेल्स टेक्स लगाते हैं। पहली बात तो यह है कि सेल्स टेक्स भारत में लगाने की जरूरत नहीं है सेल्स टेक्स लगाने की बात आये तो हमें देखना चाहिये कि भारतवर्ष में पूंजीपति कितने हैं उन लोगों की संख्या कम है तो हम सोच सकते हैं कि हमारी सैकिन्ड फाइव ईयर प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिये सेल्स टेक्स थोपें। पर जहां हम सोशलिस्टिक पैटर्न का नारा लगाते हैं और जनता को प्रभावित करना चाहते हैं और दुनियां की नजरों में हिन्दुस्तान एक उन्नत देश है, इस रूप में हिन्दुस्तान का परिचय करना चाहते हैं, वहां हमें देखना होगा कि जो गरीब लोग हैं उनकी दशा उन्नत दशा बनाने के लिये कोई चेष्टा कर रहे हैं कि नहीं और पूंजीपति हैं उनके पास से पैसा लेकर गरीबों में वितरण करने की व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं। पर देखा जाय तो इसमें तो यह व्यवस्था की गई है कि गरीब और अमीर दोनों को एक ही लकड़ी से हांका जाय। बिहार, यू. पी. बंगाल और दूसरे प्रान्तों के रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति राजस्थान के लोगों के मुकाबिले ठीक है तो उनके ऊपर यह टेक्स लगाया जा सकता है पर यह कहकर कि भारत के बहुमत प्रान्तों की आर्थिक स्थिति अच्छी है इसलिये राजस्थान जिसको हम कहते हैं कि एक पिछड़ा हुआ देश है उसमें भी यह टेक्स लगाने की आवश्यकता है तो राजस्थान तो इन टेक्सों के बोझे से लद कर खत्म ही हो जायगा।

राजस्थान में सेल्स टैक्स के बारे में चर्चा होती है तो यह कहा जाता है कि जितने इन्टरमीजियरीज हैं और जितने पूंजीपति हैं उन पर इसका असर होता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो इम्प्लीमेंट करने की जो प्रणाली है, इसका जिन्हें अनुभव है और जो लोग भुगतते हैं उनसे पता चलता है कि इसका सीधा असर कन्ज्यूमर्स पर पड़ता है। राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य कई प्रान्त हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिये यह सेल्स टेक्स बिलकुल ही नहीं लगाया जाय।

[श्री भैरोंसिंह दांता रामगढ]

गरीब और अमीर दोनों को एक ही हथियार से मारने की बात इसमें है। देखा जाय तो एक मिल में जो ५००० मजदूर काम करते हैं उनकी तनख्वाह दे दी जाय और उनसे एक धोती जोड़ा या कपड़े के ऊपर जो कि मिल में उत्पादित हुआ है, सेल्स टैक्स लगाया जाय तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा यह कदापि न्यायोचित नहीं भारतवर्ष में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है इसलिये इस हथियार से अमीरों के बजाय गरीब बहुत ज्यादा मर जायेंगे ऐसी व्यवस्था इस कानून में है और यदि आप चाहें कि लोगों के सामने से बेरोजगारी दूर करना है, उनको काम धंधा देना है, तो सबसे पहले हमें उन लोगों को सुविधा देनी होगी कि स्वयं के उपार्जित ढंग से जीविका उपार्जन करें या फिर हम ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो और लोगों को उससे आराम मिले।

राजस्थान की आर्थिक स्थिति कैसी है, राजस्थान के रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, इस स्थिति के ऊपर भी अगर लोक सभा एक कानून के युनिफोर्म के रूप में टेक्स लगाने की कोशिश करेगी तो राजस्थान का बड़ा घाटा होगा। पहली बात तो यह है कि इस प्रकार के युनिफोर्म कानून की आवश्यकता नहीं है, और अगर यूनिफोर्मिटि हो तो भी सेल्स टेक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग बड़े बड़े पूंजीपति हैं, दूसरों के श्रम को एक्सप्लोइट करते हैं, गरीबों की महनत का खुद फायदा उठाते हैं और गरीबों को उनकी महनत का पूरा पूरा फायदा नहीं मिल पाता तो ऐसी सूरत में सोश्यलिस्टिक पैटर्न का नारा लगाने वाले और सोश्यलिस्टिक पैटर्न को मानने वाले लोगों को तो चाहिये कि इस प्रकार के गरीब लोगों की इस प्रकार के संकट से रक्षा करें।

लोक सभा को इस प्रकार के पावर्स दिये हैं, वह ठीक है पर उनके सामने अलग अलग प्रान्तों के लोगों की किस प्रकार की आर्थिक स्थिति है, उनकी माली हालत किस प्रकार की है इस चीज का चित्रण अच्छी प्रकार उनके सामने नहीं जायगा और मान लीजिये यदि किसी प्रकार सही चित्रण उनके सामने किया भी गया तो यह मांग की जायगी कि अमुक प्रान्त की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिये वहां इतना टेक्स लगाया जाय और अमुक की आर्थिक स्थिति उस प्रान्त के मुकाबले में अच्छी है इसलिये यह दर लगाई जाय और इस प्रकार यू. पी. में २ पैसा फी रुपया, राजस्थान में एक पैसा फी रुपया और बिहार में दो पैसा फी रुपया रखा जायगा और इस प्रकार फिर भी यूनीफोर्मिटी नहीं रह सकेगी। इसलिये राजस्थान की विधान सभा को और अन्य प्रान्तों की प्रान्तीय विधान सभाओं को यह अधिकार रहना चाहिये कि वे ही अपने प्रान्त की जनता की आर्थिक स्थिति पर विचार करें, वे ही अपने प्रान्तों के निवासियों की आर्थिक स्थिति का अवलोकन करें।

राजस्थान के निवासियों की आर्थिक स्थिति के अवलोकन का अधिकार राजस्थान के लोगों को न देकर दूसरे लोगों को, मैं यह नहीं कहता कि वे लोग दूसरे हैं या विदेशी हैं, पर वहां एक तो यह हो सकता है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति के बारे में सही चित्रण न हो सके और बहुमत के आधार पर बहुमत प्रान्तों की आर्थिक स्थिति ठीक होने के नाम पर सब प्रान्तों पर समान रूप से टेक्स लगाने का निर्णय हो जाय तो ऐसी सूरत में राजस्थान के लोगों को तो काफी तादाद में नुकसान होगा। इसलिये इस बात की आवश्यकता नहीं कि यूनिफोर्म सिस्टम अडोप्ट किया जाय और राजस्थान की जनता की आर्थिक स्थिति के अवलोकन का अधिकार राजस्थान के रहने वालों को ही दिया जाय।

[श्री भैरुंसिंह दांता रामगढ]

मैं तो यह कहता हूं कि न तो इस सेल्स टेक्स की आवश्यकता है और न इस प्रकार के युनिफोर्म सिस्टम के एडोप्ट करने की आवश्यकता है।

कई महानुभाव कहते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना स्वीकार करली है और उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिये सफल बनाने के लिये पैसे की आवश्यकता है, इसलिये इसको सफल बनाने के लिये हमें सेल्स टेक्स लगाना आवश्यक हो गया है, पर मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के भी सुझाव आ रहे हैं कि विधान सभाएं खत्म करो और फिजूल खर्ची खत्म करो। उधर एम्बेजलमेन्ट के केसेज सामने आ रहे हैं, डिफाल्केशन के केसेज सामने आ रहे हैं और जनता की कमाई के पैसे का मिसएप्रोप्रियेशन हो रहा है राजस्थान की सरकार इस मामले में बड़ी असफल रही है। इस पर मैं अधिक इस समय कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन जिस समय पंचवर्षीय योजना की चर्चा होगी उस समय जिक्र पूरी तरह से इस पर किया जावेगा। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारी देन है और दूसरी तरफ सरकार यह कहती है कि हमारे यहां पर धन की कमी है। जब हमारे यहां पर धन की कमी है तो फिर गरीबों की जेब से पैसा निकालने की चेष्टा करना बहुत बुरी बात होगी। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वे माननीय गृह मन्त्री से निवेदन करें कि राजस्थान की जनता के पास पैसा नहीं है और न वह इस स्थिति में है कि वह पैसा दे सके। इसलिये वे राजस्थान की जनता को इससे मुक्त करावें। राजस्थान की जनता चाहती है कि उसको इस भार से मुक्त किया जावे इसलिये उनको चाहिये कि राजस्थान की जनता को इससे मुक्ति दिलाएं ताकि जनता अपने आपको इससे मुक्त महसूस करे। इसलिये मैं सारे सदन से निवेदन करूंगा कि वे सब एक मत होकर अपनी राय दें कि हमारे यहां पर सेल्स टेक्स की कोई आवश्यकता नहीं है और न इस प्रकार का सेल्स टेक्स लोक सभा को हमारे पर लगाने का अधिकार है। बस इतना ही आग्रह करता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, सदन के समक्ष माननीय गृह मन्त्री महोदय ने कोन्स्टीट्यूशन सिक्स्थ एमेन्डमेन्ट बिल रखा है उसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि हम किसी भी ऊपर से आई हुई बात को उसी प्रकार से मान लें जैसे एक सपूत बच्चा अपने बड़ों के आदेश को नीचा सिर करके मान लेता है। मगर इस प्रकार से यह बात नहीं मानी जा सकती। यह कोई बात नहीं कि इस संशोधन को दोनों सदनों ने मान लिया है और पास पर दिया है इसलिये हमको भी इस संशोधन को सर्व सम्मति से पास करना है। हमको यह देखना है कि आज हमारी क्या हालत है? आज राजस्थान एक डेफिसिट प्रान्त है और राजस्थान में पैसे की बहुत कमी है। इस कमी को कुछ हद तक दूर करने के लिये हमने सेल्स टेक्स लगाने की योजना बनाई है। हम कई जगह पर सेल्स टेक्स लगाते रहे हैं और इससे हमको आमदनी भी है। लेकिन आज इस कान्स्टीट्यूशन एमेन्डमेन्ट को पास करने के बाद यह आमदनी हमारी न रह कर सेन्टर की हो जावेगी। हम इसके द्वारा सेन्टर को यह अधिकार दे रहे हैं कि सेल्स टेक्स की जो हमारी आमदनी थी और जिसको लगाने का हमको अधिकार था वह अधिकार हम सेन्टर को दे रहे हैं। कहा यह जाता है कि आज सेन्टर में पैसे की बहुत आवश्यकता है क्योंकि हमको द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करना है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये हमें इतने पैसे की जरूरत है कि हम जितना सेन्टर को सरेन्डर कर सकें अवश्य करें। मैं मानता हूं कि हमने पंचवर्षीय योजना बनाई

[श्री मानसिंह महार]

हैं, वह रूस और चीन की नकल करके ली है। देखने के लिये यह बहुत अच्छी है। इसके लिये पब्लिसिटी भी काफी की गई है। यह भी देखते हैं कि हमने इसमें बहुत प्रगति की है। मगर वास्तव में देखना यह है कि हमने क्या प्रगति की है? पैसा इस प्रकार से खर्च किया जा रहा है जिसकी कुछ हद नहीं। मैं तो राजस्थान के लिये यह कहता हूं कि हमारी सरकार यह कहती है कि हमने दो वर्षों में बहुत पैसा खर्च किया है और बहुत से बांध बांधे हैं। मैं यह कहूंगा कि उसने जो खर्च किया उसका क्या नतीजा हुआ। ७५ प्रतिशत तालाबों के बांध तो इसी साल टूट गये और उनके टूटने से वह पैसा तो बेकार गया। हमें इससे कोई विरोध नहीं कि टेक्स क्यों लगाएं। हमें इसका विरोध नहीं लेकिन जो हमसे पैसा लिया जावे उसका सदुपयोग किया जावे। जब तक उसका सदुपयोग नहीं हो, वे टेक्स लेने से क्या फायदा। हमारे पैसे लगें और उसका कुछ उपयोग नहीं हो और लाखों रुपयों की लागत का तालाब एक ही दिन में बर्बाद हो जावे, हमारे पसीने की गाढी कमाई का पैसा कुछ सरकार के कृपापात्र इन्जिनियरों की रिश्वतखोरी की वजह से यों ही बरबाद हो जाए। इसलिये ऐसी सूरत में इस प्रकार के एमेन्डमेन्ट को पास करना कभी भी बरदाश्त नहीं करेंगे। हम यह समझते हैं कि आज के जमाने में जब प्रान्तीय सरकार पैसा पैसा करती है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट पैसा पैसा करती है उस जमाने में हम इस प्रकार से पैसे को आंख मींच कर बरबाद कर देते हैं तो मैं यह कहूंगा कि पब्लिक के साथ बहुत य ा अन्याय किया जाता है। हमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को यह बताना है कि प्रान्तीय गवर्नमेन्ट को पंचवर्षीय योजना के लिये जो पैसा देती है उसका दुरुपयोग होता है। बंदी में बांध टूटा, उसके दोनों तरफ दीवार और बीच में बालू भरी हुई थी। इसका नतीजा क्या हुआ? एक साहब को मौअत्तिल कर दिया गया। वे मौत्तिल हो गये, मगर आज जयपुर में ३५० रु० के बंगले में बैठे हैं। उन्होंने १० लाख रुपये खा लिये। उनको क्या परवाह है? इतने रुपयों के व्याज से कमा खाएंगे। ऐसे आदमियों के लिये सरकार कुछ नहीं करती। हम चाहते हैं कि सरकार को सेल्स टेक्स से पैसा वसूल करने का अधिकार दें और वह हमारे प्रान्त में सेल्स टेक्स वसूल करें और उसका सदुपयोग करें। इस पैसे का सदुपयोग तभी हो सकता है जब इस प्रकार के टेक्स के पैसों का उपयोग करने वाले ऐसे आदमी हों जो पैसे की वकत जाने, जिन्होंने कभी पैसे को खर्च किया हो और जो खर्च करना जानते हों। उन्होंने ने पैसा देखा ही नहीं और अब पैसे को आंख मीच कर पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। ऐसी हालत में यह टेक्सेशन बहुत भारी पड़ता है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो यह उम्मीद करते थे कि राजस्थान की जनता के लिये यह सेल्स टेक्स भी भारी है और वह भी हटा दिया जावेगा। लेकिन एक नई चीज हमारे सामने आई है कि यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। इसके बाद यहां टेक्स सेन्टर लगाया करेगी और जो आमदनी होगी वह सेन्टर ले जाया करेगी। पुराने जमाने में हम यह देखते थे कि राजस्थान में कस्टम ड्यूटी थी। जब एक रियासत से दूसरी रियासत में बाहर जाते थे तो कहते थे कि आपके कपड़े दिखाओ। बक्स खुलवाये जाते थे, उनको बक्स खोलकर कपड़े दिखाये जाते थे। यह बात बहुत नागवार गुजरती थी। वह बात हमको तो क्या परन्तु बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठने वालों को नागवार मालूम होती थी। उस समय वे सब लोग कस्टम का विरोध करते थे। लेकिन आज सेल टेक्स हम पर लागू है जो कस्टम से भी बुरी चीज हो रही है। सेल्स टेक्स का विरोध इसलिये करना चाहिये कि वह हमको सुविधा देनेवाला टेक्स नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि दरअसल में इसमें कितनी बदमाशी होती है। जयपुर में यदि आप किसी दुकानदार से ३० रुपये का कपड़ा खरीदें। कपड़ा खरीदने के बाद आप

[श्री मानसिंह महार]

दुकानदार से कहें कि कैश मीमो देदो। वह आपसे कहेगा कि अगर आप कैश बिल लेंगे तो आपको १० आने या १२ आने ज्यादा देने होंगे। आप ही बतावें आप क्या चाहते हैं। जब वह यह कहेगा तो दूसरा आदमी जो खरीददार है वह भी सोचता है कि अगर बिल नहीं लेंगे तो १० आने या १२ आने की बचत होगी। इसका नतीजा क्या होता है ? इसका नतीजा १० आने या १२ आने तक ही नहीं रहता लेकिन इसका असर उस दुकानदार के इन्कम टेक्स पर पड़ता है और सरकार इन्कम टेक्स से वंचित रह जाती है। अगर यह सेल्स टेक्स नहीं लगेगा तो सरकार को इन्कम टेक्स से आमदनी होगी। और जब यह सेन्टर में जा रहा है तो सेन्टर को इन्कम टैक्स से बहुत आमदनी होती है। इसलिये वह आमदनी इस प्रकार के छुटफुट टेक्स से मारी जाती है। इसलिये अगर सेल्स टेक्स बिल्कुल हटा दिया जावे तो सरकार को इन्कम टेक्स से बहुत ज्यादा आमदनी होगी, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो दुकानदार लोग चीजें बेचते है उनसे लोग बिल नहीं लेते हैं। इस तरह से बिल नहीं लेने से इन्कम टेक्स भी सरकार को प्राप्त नहीं होता। आज हमारी नीति केवल टेक्स लगाने की ही रहती है, यह नहीं देखा जाता कि वास्तव में इसका फायदा होता है या नहीं।

अभी कुछ देर पहले जो अमेन्डमेन्ट बिल पास हुआ था उस पर कहा गया था कि केवल विरोध करने के लिये विरोध नहीं किया जावे, लेकिन मैं नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि केवल 'हां' करने के लिये हां नहीं करना चाहिये, चीज की वास्तविकता की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। यह कोई बात नहीं अगर दिल्ली में संसद ने किसी बात को मान्य कर लिया हो वह सभी जगह मान्य होजाना चाहिये हो सकता है कि उनके ध्यान में कोई बात नहीं आयी हो उनको सुझाना हमारा परम कर्तव्य है।

आज हम देखते हैं कि राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है। इस प्रान्त के अन्दर हमारी आमदनी का जरिया अगर केन्द्र को चला जायगा तो हम किस प्रकार अपने प्रान्त को डेवलप करेंगे। यह बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है, फिर भी इस पर चश्मपोशी की जाती है। और इस चश्मपोशी का नतीजा यह होता है कि हमारे प्रान्त को बहुत हानि पहुंचती है। आप यह बात कहते हैं कि यह सब रुपया सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में काम में आने वाला है। इस बात का मैं विरोध करना चाहता हूं कि सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में जो अधिकतर पैसा है वह कुछ सिलेक्टेड जगहों पर ही लगता है और सेल्स टेक्स करीब करीब सभी जगह लगा हुआ है वैसी हालत में मैं इसका विरोध करता हूं कि सेकन्ड फाइव ईयर प्लान का जो पैसा है वह केवल नेशनल एक्सटेन्शन ब्लाक और एक्सटेन्शन ब्लाक में लगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है। इसलिये मेरा बोलना कानूनन ठीक नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—कोरम है आप जारी रखिये।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस बिल के बारे में जो निवेदन कर रहा था उस सम्बन्ध में मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि इस पर उन्हें गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिये। आज हमको इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। हमको यह बात देखनी है कि हम किस बात को किस प्रकार से करने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि संसद में हमारे राजस्थान का जो रिप्रजेन्टेशन है वह इतनी कम तादाद में है कि उनकी आवाज वहां कोई महत्व नहीं रखती। राजस्थान की विधान सभा के अन्दर जब हमारे प्रान्त के पैसे का मामला आता है तो हमें वास्तविक स्थिति क्या है उसका भान होता

[श्री मानसिंह महार]

हैं उस स्थिति को हमें आगे पहुंचाना चाहिये। इस पर यह कहना कि यह तो केवल रेटीफिकेशन के लिये आया है इसलिये इसको कर दिया जाय, यह कोई तरीका नहीं है। यह कहा जाता है कि लीगल एडवाइज में ऐसा आया है कि यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट होना चाहिये। यह तरीका ठीक नहीं है। तरीका तो यह है कि आज के युग में देश की जनता टेक्सेज से ओवर बर्डन्ड है। आज हम पर तरह तरह के टेक्स लग रहे हैं। जितने भी हमने कानून बनाये, उन सब में हम देखते हैं कि टेक्सेज की भरमार कर दी है। ऐसी सूरत के अन्दर राजस्थान की गरीब जनता यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे जो टेक्सेज से आमदनी है वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ले जाय। इसके अलावा जब सेन्ट्रल इस प्रकार हमारे टेक्सेज की आमदनी को ले लेता है तो हम देखते हैं हमारे बजट को पूरा करने के लिये हमें फिर नये टेक्स लगाने पड़ते हैं और सेन्टर में पैसा जाकर इसका जो दुरुपयोग किया जाता है वह काबिले बरदाश्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, कोरम तो नहीं फिर भी मैं बोलता ही जाता हूं कानून के अनुसार मुझे बोलना नहीं चाहिये। अच्छा हो आप कोरम बैल बजादें।

(गण पूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

माननीय उपाध्यक्ष, इन मुद्दों को सदन के सामने रखते हुए मैं इस अमेन्डमेन्ट बिल को जो दिल्ली के बहुत ही योग्य पार्लियामेन्टेरियन्स द्वारा पास किया गया है, फिर भी मैं यह मानता हूं कि उन्होंने इसे गंभीरता से देखा होगा लेकिन शायद राजस्थान जैसे पिछड़े हुए प्रान्त की आवश्यकताओं की ओर उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिये था। यह सुझाया नहीं गया होगा, ऐसी सूरत के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे और माननीय मन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इस पर यह सदन सर्वसम्मति से इन्कार करदे और इसको पास न होने दे।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प मैंने सदन के सम्मुख रखा है उसका आशय यह है कि पार्लियामेन्ट ने जो इस संबंध में बिल पास किया है उसका समर्थन या अनुमोदन हमारी इस धारा सभा से मिले और यह मिलना हमारे संविधान की धारा के अनुसार अनिवार्य है। इसके विपक्ष में जो दो बातें कही गई एक तो इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया कि राजस्थान की जनता बहुत गरीब है, नये टेक्स बर्दाश्त नहीं कर सकती, नये टेक्स को उठाने में हम समर्थ नहीं, यह बहुत बेजा है। दूसरी जो दलील दी गई वह यह कि राजस्थान आर्थिक स्थिति में बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है उसको कर्जा लेना पड़ता है ऐसी स्थिति में हमारे जो आय के साधन हैं अगर उन्हें हम केन्द्र को देते हैं तो इससे बुरी बात और हो नहीं सकती? न मालूम हमारी आय को लेकर किसी प्रकार से दुरुपयोग करेंगे, किस हद तक करेंगे, इस प्रकार से अपने आय के साधन केन्द्र को नहीं दिये जाने चाहिये मैं यह मानता हूं कि जो दोनों दलीलें दी गई हैं वे सही नहीं हैं।

मैं निवेदन करूं, आपने शायद इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं की होगी। समय कम मिलने की वजह से आपने इस बिल के प्रोवीजन्स भी पूरी तरह से नहीं देखे होंगे इसीलिये आपत्ति करने का मौका मिला है। मैं आपको इसके इतिहास को बताता हूं। सेल्स टेक्स अलग २ स्टेट्स में पहले से लगा हुआ है। एक जगह पर किसी धारा विशेष के संबन्ध में कुछ सवाल पैदा हुआ। बंबई की एक मोटर कम्पनी ने एक मोटर बेची थी, उसके सेल टेक्स के देने के संबन्ध में झगड़ा था, वह आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक सुप्रिम

[श्री रामकिशोर व्यास]

कोर्ट में आर्टिकल २८६ क जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसके इन्टरप्रिटेशन पर झगड़ा चला। सेल और परचेज हो, वह उस एरिया में समझी जाय जहां वह चीज डिलीवरी की जायगी। तो सुप्रिम कोर्ट ने इस बंबई के केस पर यह निर्णय दिया कि इस बारे में जिस फर्म से टैक्स लिया गया वह प्रोपर नहीं इस प्रकार का एक केस ओर गया। तो मौजूदा जो टैक्स का कानून है उसके बारे में एक राय सुप्रिम कोर्ट की हुई। इस पर एक टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन भारत सरकार ने बिठाया। उसने इस प्रश्न की जांच की और जांच के बाद अपनी सिफारिशें की। उन्हीं सिफारिशों को इस बिल के द्वारा आपके सामने रक्खा गया है। हमारी ओर से इसमें कुछ नहीं है। सब्स्टेंश्यली वे की वे सिफारिशें इसमें हैं। प्लानिंग कमीशन ने भी इन सिफारिशों पर गौर किया है और उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। तो इन सभी एक्सपर्टों की जांच का जो निष्कर्ष निकला वही इस कानून में रक्खा गया है। इसलिये यह सोचना कि गरीबी की वजह से इन्हें जनता बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। पहले जो टैक्स था वही है। कोई नया टैक्स इसके द्वारा कतई नहीं लगाया जा रहा है।

अब रहा प्रश्न इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स का। इसमें आउट साइड सेल अगर होती है तो इसमें जो कानून है उसका इन्टरप्रिटेशन सुप्रिम कोर्ट ने जो किया है उसी को मेन्टेन करने के लिये यह व्यवस्था की गई है। यह टैक्स यूनियन सरकार ही कलेक्ट करेगी इन्कम टैक्स की तरह और फिर हिसाब से सम्बन्धित स्टेटों को बांट देगी। इसलिये इसमें भी किसी नये टैक्स की बात कोई नहीं है।

दूसरा यह भी कहना कि इसकी आमदनी सेन्टर को चली जावेगी, सो यह बात भी इस तरह से ठीक नहीं है। यह इसमें साफ साफ लिखा है। टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में भी तीन पोइन्ट्स रेज किये गये हैं और उनका समाधान किया गया है। पहला पोइन्ट यह है कि सेल्स टैक्स स्टेट की पर्व्यू में रहना चाहिये। दूसरा इन्टर स्टेट टैक्स का मामला सेन्टर ले ले। पर लेते हुए भी उसने स्टेट के इस राइट को माना है कि इसका हिस्सा स्टेटों का ही है जो कि सम्बन्धित स्टेटों में वितरित कर दिया जावेगा। इसकी आमदनी को सेन्टर नहीं रखने वाला है और इस वितरण का सिद्धान्त ले डाउन किया जावेगा, जिसको पार्लियामेन्ट एप्रूव करेगी।

तीसरा पोइन्ट उस संशोधन का है जो संशोधन २८६ का इसके अन्दर रखा गया है।

ये तीन बातें इसमें हैं, कोई नई बात नहीं है। वह तो एक टैक्नीकल लीगल डिफिकल्टी आ गई थी जिसको इस तरह से ठीक कर दिया गया है और फिर चूंकि पार्लियामेन्ट ने एडोप्ट कर लिया है इसलिये हम भी कर लें, यह हमारा कहना है। यह बिल्कुल वाजिब बात है। आशा है सदन इसको इस स्पष्टीकरण के बाद स्वीकार कर लेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री रामकिशोर व्यास ने प्रस्तुत किया वह स्वीकार किया जावे।

(संकल्प सर्व सम्मति से स्वीकृत)

संकल्प सर्व सम्मति से पारित किया गया।

(विराम)

श्री दामोदर लाल व्यास।

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५६

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन आफ जागीर्स एक्ट, १९५२ का चतुर्थ संशोधन करने वाले विधेयक को विचारार्थ लिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधन विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

जागीर (चतुर्थ संशोधन) बिल विचारार्थ लिया गया ।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५६ विचारार्थ लिया गया है उसे पारित किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन बिल पारित किया गया ।

सदन की आज की कार्यवाही समाप्त हो गई है । कल प्रातः ११ बजे तक के लिये सदन स्थगित किया जाता है ।

(सदन की कार्यवाही आज १ बजकर ६ मिनिट पर कल दिनांक २५ सितम्बर, १९५६ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक--सितम्बर २४, १९५६ ।

परिशिष्ट

(कृपया प्रश्न संख्या ८ देखिये)

नक्शा जिन्स वाइज् क्षेत्रफल व पैदावार तथा औसत पैदावार प्रति एकड़
बाबत सन् १९५४-५५

नाम जिन्स	राजस्थान			टोंक		
	क्षेत्रफल एकड़ों में	पैदावार टनों में	औसत पैदावार प्रति एकड़ पौण्ड में	क्षेत्रफल एकड़ों में	पैदावार एकड़ों में	औसत पैदावार प्रति एकड़ पौण्ड में
१ चांवल	१५६,९१६	७७,९६२	१,११३	१३४	११	१८४
२ ज्वार	२६६५,९०१	४७९,४८५	४०३	२८२,७२५	३०,७९७	२४४
३ बाजरा	७९५४,०८१	४९५,६९४	१४०	३५,४९९	२,२१२	१४०
४ मक्का	१२६६,६७७	५५०,६३५	९७४	४५ ४२०	९,८९५	४८८
५ छोटा धान	२१८,१२५	३७,५७२	३८६	९७	१२	२७७
६ गेहूं	२१३४,००३	८३५,७३६	८३८	१५६,९२६	५०,४४०	७२०
७ जौ	१३४८,६१२	५८२,८७५	९६९	८२,२९३	३५,४५२	९६५
८ चना	२९४८,७१८	६१२,०२३	४६५	१३४,१०५	१९,४५७	३२५
९ अरहर	३४ ४५३	३,६४६	२३७	११	१	२०४
१० दाल	२९६६,५३५	२००,४१३	१५२	५,४८४	२८५	११७
खरीफ						
१ दाल रबी	२२,६७९	३,६७६	३५९	३३	४	२७२
२ आलू	१,९१३	३,०९७	३,६२६	७५	८१	२४११
३ गन्ना	५३,३७६	४८३,१५५	२०,२७६	१,६२१	९,०१७	२४६०
		४८,१३६ गुड	२,०२८ गुड़	गन्ना गुड़	९०२	१२४१
४ अदरक	१२७	८०	१४,११	—	—	—
५ मिर्च लाल	६२,७९५	१२,९३४	४६२	२,१०५	१५०	१५९
६ तम्बाकू	१३,०९०	३,२१७	५५१	२१६	२९	३०१
७ मूंगफली	१२७,४७५	३९,१०५	६८९	१,६४५	१६३	२२२
८ अरडी	२,३३१	३४३	३३०	—	—	—
९ तिल	१२९८,९५८	१०७,०१०	१८५	७३,४२५	८,५५२	५३०
१० सरसों राई	५३१,५५१	८५,३८८	३६०	१,२६१	७०	१२५
१ अलसी	१७५,४२८	३०,२५१	३८७	५,३३२	१७८	७५
२ कपास	४९१,२४९	१०४,७५९	९२	१८,५७६	४,३३९	९२
३ सन	४७,३६९	२६,१९१	२४३	३३३	१८६	२२४